सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल—3

(01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड—www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

बजट का आवंटन

1– जनपदों से प्राप्त मांग के आधार पर आहरण वितरण अधिकारी, के निर्वतन पर बजट आवंटन किया जाता है।

2– बजट मैनुअल एवं शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

3–शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतनआदि हेतु बजट आवंटित किया जाता है इसलिए सीधे जनता से जुडा निर्णय नहीं है।

4– जनपदीय अधिकारियों/वित्त, सेवा के अधिकारियों की संस्तुति पर निर्णय लिया जाता है।

5– निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का नाम– वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

6– निर्णय लेने के प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की सन्दर्भ सूचना– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

7– निर्णय के विरूद्व कहां कैसे अपील करें– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पेंशन सम्बन्धी प्रक्रिया/विवरण

1– उत्तराखण्ड में पेंशन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा अपने सेवानिवृत्तक देयकों के निस्तारण हेतु शिकायत प्रस्तुत करने पर निदेशालय स्तर से मण्डलीय/जनपदीय शिक्षा अधिकारियों को प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देश दिये जाते हैं। पेंशन सम्बन्धी ऐसे प्रकरण/शिकायत जिनका निराकरण शासन स्तर से अथवा जिन पर शासन की सहमति आवश्यक हो, निदेशालय स्तर से शासन को प्रेषित किये जाते हैं।

2– सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक/कर्मचारी के उपशिक्षा अधिकारी/वित्त अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति पर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा पेंशन स्वीकृत की जाती है।

3–जनता तक पहुँच–यद्यपि उक्त कार्य से सामान्य जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, किन्तु जनसामान्य से शिकायत अथवा आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित को सीधे अथवा सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों के माध्यम से सूचना का प्रेषण किया जाता है।

4– विभिन्न स्तरों पर क्रमशः विद्यालय के शिक्षको एवं कार्मिकों का ब्लॉक स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर वित्त एवं लेखाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। पेंशन सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अधिकारियों से आख्या प्राप्त कर निर्णय लिया जाता है।

5– अंतिम निर्णय पेंशन सम्बन्धी अंतिम स्वीकृति निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून द्वारा की जाती है।

6– दिशा निर्देश–पेंशन नियमावली एवं समय–समय पर जारी होने वाले शासनादेश।

7– प्रक्रिया–सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के आवेदन पर उपशिक्षा अधिकारी, वित्त अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी की संस्तुति पर पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय को प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 भुगतान विषयक

1– प्रक्रिया– राजकीय कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते से 90 प्रतिशत भुगतान की संस्तुति हेतु सेवानिवृत्ति शिक्षक/कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उप शिक्षा अधिकारी, आहरण वितरण अधिकारी (जनपदीय) की संस्तुति पर वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड स्वीकृति दी जाती है।

2– दिशा–निर्देश–सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 में नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित है।

3– जनता तक पहुॅच–यह शासकीय कर्मचारियों से सम्बन्धित कार्य है, अतः जनता तक पहुचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

4– निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का नाम– वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

5– निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सन्दर्भ सूचना–विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड।

6– निर्णय के विरूद्व कहां अपील करें– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना।

1– प्रक्रिया–विद्यालय प्रबन्धक द्वारा निर्धारित प्रपत्र (मैनुअल–13) पर प्रस्तुत आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मानको के अधीन परीक्षण करते हुए मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को प्रेषित किया जाता है। जिनकी संस्तुति उपरान्त निदेशालय द्वारा प्रकरणों का परीक्षण करते हुए शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। शासन स्तर पर उपलब्ध संशाधनों के दृष्टिगत नीति निर्धारित करते हुए विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का निर्णय लिया जाता है।

2– दिशा–निर्देश–मैनुअल–05 में दिये गये हैं।

3– निरीक्षण प्रक्रिया– विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने हेतु।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्लॉक/जनपद/मण्डल/निदेशालय स्तर पर निरीक्षण किया जाता है।

4– जनता तक पहुँच–अनुदान सूची जारी की जाती है, जिससे प्रबन्ध तंत्र को अवगत कराया जाता है।

5– निर्णय लेने में सक्षम अधिकारी– सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कालातीत देयकों का भुगतान

1— प्रक्रिया—कर्मचारियों के वेतनआदि एवं यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान एक वर्ष में न होने पर देयक कालातीत हो जाते हैं। ऐसे देयक आहरण वितरण अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त निदेशालय को पूर्व सम्परीक्षा हेतु प्रेषित किये जाते हैं। देयक का परीक्षण कर वेतनआदि के देयकों पर पूर्व सम्परीक्षा की जाती है तथा यात्रा भत्ता देयक उत्तराखण्ड शासन को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

2—दिशा—निर्देश—कालातीत देयकों पर कार्यवाही वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—74 में प्रक्रिया निर्धारित है।

3— जनता तक पहुँच—प्रक्रिया कर्मचारियों से सम्बन्धित होने के कारण जनता तक पहुँचाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

4— निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत अधिकारी—निर्णय लेने हेतु जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति की जाती है।

5— निर्णय में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना— निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

6— निर्णय के विरूद्व कहां अपील करें— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

नियोजन (अशासकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण)

1–प्रक्रिया–अशासकीय विद्यालयों की मांग के आधार पर जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मण्डलीय अपर निदेशक की संस्तुति पर मानकों के अनुरूप परीक्षण कर शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाता है।

2–दिशा–निर्देश–प्रान्तीयकरण के मानक।

3– निर्णय लेने में शामिल अधिकारी–प्रस्तावक–जिला शिक्षा अधिकारी, संस्तुतिकर्ता–मण्डलीय अपर निदेशक, समीक्षक–शिक्षा निदेशक, निर्णयकर्ता–सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।

4–निर्णय के विरूद्व कहाँ और कैसे अपील करें–सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को प्रत्यावेदन के द्वारा।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

<u>लेखा स्थापना (सामग्री क्रय प्रक्रिया)</u>

<u>सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) के क्रय--</u> जहां क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रू0 25,000 (जीवन रक्षक औषधियों के क्रय के मामलों में रू0 50,000) तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन/निविदा के, खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती है:–

मै.....................................व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा क्रय की गयी सामग्री. ....अपेक्षित विशिष्टियों तथा गुणवत्ता के अनुरूप है और विश्वसनी आपूर्तिकर्ता से उचित दरों पर क्रय की गयी है।

हस्ताक्षर–
अधिकारी का नाम
पदनाम–

<u>क्रय समिति के माध्यम से सामग्री क्रय–</u> प्रत्येक अवसर पर रू0 25,000(रू0 पच्चीस हजार) से अधिक तथा रू0 2,50,000 (रू0 दो लाख पचास हजार) तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित समुचित स्तर के तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखा परीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण पत्र अभिलिखित करेंगे:–

प्रमाणित किया जाता है कि हमारा (1)........(2).............(3)............ का व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से समाधान हो गया है और जिस सामग्री के क्रय की संस्तुति की गयी है वह अपेक्षित विशिष्टताओं और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गई है वह विश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री को आपूर्ति करने में समक्षम है।

हस्ताक्षर	(1)	(2)	(3)
	नाम	नाम	नाम
	पदनाम	पदनाम	पदनाम

<u>इलेक्ट्रानिक माध्यम से अधिप्राप्ति (ई–प्रोक्यूरमेन्ट)</u> समस्त विभागों में अधिप्राप्ति ई–प्रोक्यूरमेन्ट के माध्यम से निम्नवत् कराया जायेगा:–

(क) रू0 ढाई लाख से अधिक की धनराशि की समस्त सामग्रियां एवं सेवायें।

(ग) रू0 पच्चीस लाख से अधिक की धनराशि के समस्त निमार्ण कार्य।

इलेक्ट्रानिक माध्यम से अधिप्राप्ति (ई–प्रोक्यूरमेन्ट) में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय:–

(1) इलेक्ट्रानिक प्रोक्यूरमेन्ट अथवा ई–प्रोक्यूरमेन्ट का तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं तथा कार्यो के अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रबंधन, निविदा प्रक्रिया, अनुबंध गठन तथा अनुबंध प्रबन्धन की प्रक्रिया को इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाता है।

(2) ई–प्रोक्यूरमेन्ट सिस्टम सूचनाओं के सुरक्षित आदान–प्रदान, अभिलेखों की विश्वसनीयता तथा इस माध्यम से की गई सभी प्रकार की कार्यवाही की संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध रहने की प्रमाणिकता रखेगा।

(3) निविदादाता इलेक्ट्रानिक सिस्टम पर अपने वर्क पेज पर इलेक्ट्रानिक प्रमाण पत्रों, स्कैन किये गये प्रपत्रों आदि को रख सकेगा। तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम, ई–मेल से ही कार्यदायी संस्था को प्रेषित कर सकगा।

(4) संभावित निविदादाता तथा कार्यदायी संस्था के मध्य निविदा प्रकाशन से निविदा निस्तारण तक सूचनाओं को आदान–प्रदान पत्र, फैक्स अथवा अन्य लिखित अभिलेख/इलेक्ट्रानिक माध्यमों से ही होगा। संभावित निविदादाता एवं कार्यदायी संस्था के मध्य दूरभाष से सूचना का आदान–प्रदान वर्जित होगा।

(5) निविदा खोलने के लिए प्राधिकृत समिति/प्राधिकारी, निर्धारित तिथि एवं समय पर ही दिये गये लॉग–इन/पासवर्ड पर तकनीकी निविदा खोलेंगें, जिससे निर्धारित तिथि व समय से पूर्व में इसका विवरण अनाधिकृत व्यक्ति देख न सके। कार्यदायी संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि निविदा प्राप्त करने का समय व तिथि तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया न्यूनतम दो अधिकृत व्यक्तियों एवं यथासंभव उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में वर्णित सम्बन्धित समिति द्वारा संचालित की जायेगी।

(6) निविदादाता निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा प्राप्त की अन्तिम समय सीमा के भीतर अपनी निविदा/प्रस्ताव में परिवर्तन, पूर्व प्रेषित निविदा/प्रस्ताव की वापसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से कर सकेगें।

(7) तकनीकि एवं वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर ही अन्तिम रूप से आपूर्ति करने वाले निविदादाता का चयन किया जायेगा एवं आपूर्ति आदेश बेवसाइट के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए किया जाय।

(8) ई–प्रोक्यूमेन्ट के अन्तर्गत निविदा प्राप्ति की कार्यवाही उत्तराखण्ड राज्य Public Procurement Portal www.uktenders.gov.in से विहत प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। प्रक्योरमेनट पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाईन निविदायें ही प्राप्त की जायेगी। किसी भी दशा में हार्ड कॉपी मान्य नहीं होगी।

(9) आउटसोर्स से कार्मिको की नियुक्ति GeM Portal के माध्यम से की जायेगी।

शासकीय कार्यो एवं कार्यालय संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री का क्रय किया जाता है। प्रयास यह किया जाता है कि मितव्ययता रखते हुए उत्कृष्ठ सामग्री क्रय की जाय, इस हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सहकारी संघों से रू0 5 लाख तक की सामग्री का क्रय सीधे किया जा सकता है। किन्तु रू0 5 लाख से अधिक की सीमा की सामग्री कोटेशन प्राप्त कर क्रय की जाती है। तीन या अधिक फर्मो से कोटेशन प्राप्त होने पर एक समिति गठित की जाती है। समिति के सम्मुख कोटेशन खोले जाते हैं तथा न्यूनतम मूल्य वाली फर्म को क्रय आदेश दिये जाते हैं। रू0 5 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री का क्रय करने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाते हुए सामग्री का नमूना एवं मूल्य प्राप्त किये जाते हैं। निविदा कराने का मूल उद्देश्य यह होता है कि सामग्री के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसाद करना तथा अधिक से अधिक फर्मो को उक्त प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्राप्त करना है। समिति गठित होने पर सर्व प्रथम तकनीकि निविदा या नमूनों का चयन किया जाता है। तद्पश्चात चयनित तकनीकि निविदा एवं नमूनों की वित्तीय निविदा खोली जाती है। न्यूनतम मूल्य के आधार पर क्रय आदेश दिये जाते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहकारी संघों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजकीय कार्यालयों में सामग्री का क्रय करने में सहकारी संघों की वरीयता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सहकारी संघों के माध्यम से क्रय करने में उत्कृष्ट गुणवता की सामग्री का चयन कर सीधे सामग्री क्रय की जाती है। विभाग द्वारा उक्त तीनों प्रक्रियाओं के अधीन क्रय की कार्यवाही की जाती है।

उक्त प्रक्रिया वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के भाग–1 के प्राविधानों के अनुसार की जाती है।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

1– प्रक्रिया–विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, के माध्यम से आवेदन निदेशालय को प्रेषित किया जाता है। प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठ छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित संख्या तक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

2– दिशा–निर्देश–आवेदन पत्र टंकित (पृथक से नहीं)।

3–निर्णय लेने की प्रक्रिया–विद्यार्थी द्वारा प्रधानाचार्य को आवेदन प्रस्तुत किया जाना, प्रधानाचार्य द्वारा संस्तुति सहित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषण, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्तुति उपरान्त संकलित सूचना निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को अग्रसारित, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्धारित छात्र संख्या तक स्वीकृति।

4– निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

5– निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम–निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

6– निर्णय के विरूद्व कहां अपील करें– सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

खेल छात्रवृत्ति

1– प्रक्रिया–प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत स्कूली प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा खिलाडियों को एक वर्ष तक खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

2–आवेदन की प्रक्रिया–राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमो/खिलाडियों को स्वतः ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है, आवेदन की आवश्यकता नही है।

3– जनता तक पहुंच–समाचार पत्रों में छात्रवृत्ति स्वीकृत की सूचना प्रकाशित की जाती है।

4– किस–किस स्तर पर संस्तुति प्राप्त की जाती है–पृथक संस्तुति की आवश्यकता नही होती।

5–अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ऑडिट आख्याओं का विवरण

1– प्रक्रिया–निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह–स्टेट इन्टरनल ऑडिट (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा) एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक ऑडिट आख्यायें प्राप्त होती है।

2– दिशा–निर्देश–विभागीय एवं शासकीय नियमों के अन्तर्गत/शिक्षा संहिता एवं शासकीय नियमों के अन्तर्गत शिक्षा निदेशक/वित्त नियंत्रक महोदय द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है।

3– जनता तक पहुँच–यद्यपि यह प्रकरण, प्रत्यक्ष रूप से जनसामान्य से जुड़ा नहीं है किन्तु जनसामान्य से शिकायत अथवा आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित को सीधे अथवा सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों के माध्यम से सूचना का प्रेषण किया जाता है।

4– किस–किस स्तर पर संस्तुति प्राप्त की जाती है–जनपद स्तर प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, निदेशालय स्तर पर निदेशक/वित्त नियंत्रक/शासन स्तर पर सचिव महोदय द्वारा।

5– अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी–नियंत्रक, महालेखा परीक्षक।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

नियोजन (निर्माण)

1– प्रक्रिया–जिला योजना जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जिला अनुश्रवण समिति, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं की संस्तुति पर विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है।

2–किस–किस स्तर पर विचार किया जाता है–जिला अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत शासन से बजट आवंटित किया जाता है।

3– जनता तक पहुँच–विद्यालयों में प्रयोगशालाओं एवं कक्ष निर्माण का कार्य शिक्षक/अभिभावक समिति के माध्यम से करवाया जाता है।

4– किन–किन अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त की जाती है–जनपद स्तरीय अधिकारियों की संस्तुति प्राप्त की जाती है।

5–अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी– सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 18 अगस्त, 2024 ई0

श्रावण 27, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023

देहरादून, 18 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023' पर दिनांक 17 अगस्त, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्या: 11, वर्ष– 2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2024)

अधिनियम

{ भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो }

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और लागू होना

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 होगा।

(2) यह अधिनियम, इस अधिनियम की धारा-5 के प्रयोजनार्थ दिनांक 11 अगस्त, 2004 से एवं अवशेष उपबन्धों के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(3) यह अधिनियम राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों के सम्बन्ध में लागू होगा।

(4) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

2\. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा-निर्देशों आदि में अन्तर्विष्ट इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य व प्रभावी समझे जायेंगे।

परिभाषाएं

3\. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "चिन्हित आन्दोलनकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका चिन्हिकरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी के रूप में किया गया हो और उसे उक्त सन्दर्भ में प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र निर्गत किया गया हो;

(ख) "आश्रित" से चिन्हित आन्दोलनकारी की यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) अभिप्रेत है।

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ङ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(च) "उत्तराखण्ड" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(छ) "सक्षम अधिकारी" से जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजन हेतु आरक्षण

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

व्यावृत्ति

5. दिनांक 11 अगस्त, 2004 को एवं उसके पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन विभिन्न राजकीय सेवाओं/पदों हेतु चयनित/नियुक्त राज्य आन्दोलनकारियों का चयन/नियुक्ति इस अधिनियम के तहत वैध मानी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य की विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,
अपर सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण हेतु उत्तराखण्ड की स्थानीय जनता द्वारा एक वृहद आन्दोलन किया गया था, जिसमें अनेक लोगों द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गयी और भाँति–भाँति की यातनाएं सही गयी।

उक्त आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति चिन्हित/वर्गीकृत हैं। आन्दोलनकारियों के ऐसे वर्ग को उनके द्वारा दिये गये बलिदान को ध्यान में रखते हुए सम्मान दिया जाना और लोक सेवाओं में ऐसे आन्दोलनकारियों का प्रतिनिधित्व लिया जाना समीचीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार AIR 1993 SC 477 नामक निर्णयज विधि, जिसमें अवधारित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों (यथा बाढ़ पीड़ित, चक्रवात पीड़ित, अग्नि पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित आदि) को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(प्रेम चन्द अग्रवाल)
संसदीय कार्य मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी/367–2024–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

I/207151/2024

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 207/5/ /XXX(2)/2024-E 59244
देहरादूनः दिनांकः 26 अप्रैल, 2024

अधिसूचना संख्याः 206981/XXX(2)/2024-E 59244 दिनांक 26 अप्रैल, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

आज्ञा से,

Signed by Lalit Mohan Rayal
Date: 26-04-2024 11:56:07

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या:206981/XXX(2)/2024-E 59244
देहरादून: दिनांक:26 अप्रैल, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) यह दिनांक 13 अगस्त, 2002 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (जिसे एतस्मिन पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) के हिन्दी पाठ में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 4 में खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।	(झ) "वर्ष/चयन वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

नियम 8 का संशोधन 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के उप नियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–	(2) किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप–
(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची	(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/04/2024 10:21 AM

/206981/2024

में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं, वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त–(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय ..... सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक .....सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति
पांचवां ..... पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवां ..... सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त

सूची में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय, वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त–(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय ..... सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक .....सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति
पांचवां ..... पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवां ..... सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/04/2024 10:21 AM

व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

Signed by Anand Bardhan
Date: 25-04-2024 16:24:14

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/04/2024 10:21 AM

संख्याः 244310 /XXX(2)/2024/ई–33080

प्रेषक,

ललित मोहन रयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

विषयः स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–19(2) में उल्लिखित संक्रमणकाल को विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्रावधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्रावधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

2– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–19 (1) के अनुसार " प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया जायेगा।"

अधिनियम की धारा–19(2) के अनुसार "इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल की अवधि मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा।"

..........2

3– कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–206, दिनांक 31.08.2020 द्वारा संक्रमणकाल की अवधि दिनांक 30 जून 2022 एवं तदोपरान्त शासनादेश संख्या–I/53697/2022 दिनांक 01.08.2022 द्वारा संक्रमणकाल की अवधि दिनांक 30 जून 2024 तक विस्तारित की गयी थी, किन्तु स्थानान्तरण अधिनियम लागू होने के पश्चात वर्तमान तक स्थानान्तरण अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार शतप्रतिशत स्थानान्तरण क्रियान्वित नहीं हो सके हैं, जिसके फलस्वरूप कार्मिकों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवायें नहीं दी जा सकी हैं। उक्त के दृष्टिगत धारा–19(2) में उल्लिखित संक्रमणकाल की अवधि विस्तारित किये जाने की आवश्यकता है।

4– अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या–206, दिनांक 31.08.2020 एवं शासनादेश संख्या–I/53697/2022 दिनांक 01.08.2022 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–19(2) में उल्लिखित संक्रमणकाल की अवधि को अग्रिम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30 जून, 2026 तक इस शर्त के साथ विस्तारित किया जाता है कि इस अवधि में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–19(4) के अनुसार जो कार्मिक अपने सेवाकाल में दुर्गम में तैनात नहीं हो सके हैं, वे भविष्य में पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिए धारा–13(1) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए अनुरोध कर लेंगे। अतः इस निमित्त स्थानान्तरण सत्र, 2024–25 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 31.08.2024 में भी छूट प्रदान की जाती है। भविष्य में संक्रमणकाल विस्तार किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 01-10-2024 18:28:55

प्रतिलिपिः

1. मुख्य निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल।

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 251136 /XXX(2)/2024–E69151
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना संख्या 251128 / XXX(2)/2024–E69151, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर ।
18. गार्ड फाईल।

संलग्नकः यथोक्त

आज्ञा से,

Signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 30-10-2024 16:31:37

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 25129 /XXX(2)/2024–E 69151
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 एवं इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2.		जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–
		(क)	"नियुक्ति प्राधिकारी" से उत्तराखण्ड राज्य में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;
		(ख)	"आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
		(ग)	"संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
		(घ)	"सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
		(ड.)	"राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।
अध्यारोही प्रभाव	3.		इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी सेवा नियमावली में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

पदोन्नति का परित्याग (Forgo)	4.	राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी—

(1) राज्याधीन सेवाओं में आयोग/विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के पदोन्नति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकेगा;

(2) जब कोई कार्मिक उसे दी गई पदोन्नति स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकता है कि उसे पदोन्नत न किया जाए और नियुक्ति प्राधिकारी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर विचार करेगा;

(3) पदोन्नति का परित्याग करने वाले संबंधित कार्मिक से इस आशय का विधिवत् शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा और इसके परिणामस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची से अगले पात्र कार्मिक को पदोन्नत किया जा सकेगा;

(4) एक बार पदोन्नति का परित्याग करने के पश्चात् संबंधित कार्मिक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(5) ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) किया जाता है, के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति का परित्याग करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेंगे कि उन्हें भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील/महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

नियमावली का लागू होना	5.	यह नियमावली राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की नियमित पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू होगी।
अनुशासनिक कार्यवाही का किया जाना	6.	इस नियमावली के उपबन्धों को लागू करने में शिथिलता बरते जाने पर उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के उपबन्धों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

Signed by
Anand Bardhan
Date: 30-10-2024 16:28:42
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः I/289938 /XXX(2)/2025 E-33080

प्रेषक,

ललित मोहन रयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 15 अप्रैल, 2025

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कार्मिकों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिये गए हैं:–

1. वर्तमान स्थानांतरण सत्र, 2025–26 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में अनिवार्य स्थानांतरण के अंतर्गत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को समाप्त करते हुए विभागों द्वारा वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के आलोक में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
2. दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में उतनी संख्या में ही स्थानांतरण किये जायेंगे, जितने सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में होंगे। स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जायेंगे और दुर्गम क्षेत्र से स्थानांतरित कार्मिक को तभी कार्यमुक्त किया जायेगा, जब उसका प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यस्थल पर उपस्थित हो जाये, ताकि दुर्गम एवं सुगम क्षेत्रों में कार्मिकों की संख्या में परस्पर संतुलन बना रहे।
3. एकल अभिभावक (विधवा/विधुर) एवं शहीदों/बलिदानियों की विधवाओं को अनिवार्य स्थानांतरण/पदोन्नति के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्र में तैनाती से छूट प्रदान की जायेगी।
4. दाम्पत्य नीति की श्रेणी में आने वाले कार्मिकों का स्थानांतरण करते समय वरिष्ठता/वेतनमान, दुर्गम में की गई सेवा एवं रिक्ति की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जायेगा।
5. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरणों हेतु स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

2— कृपया उपरोक्त के सन्दर्भ में स्थानान्तरण सत्र 2025—26 हेतु लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय—सारणी का अनुपालन करते हुए स्थानान्तरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 15-04-2025
16:46:26

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

संख्याः (1)/XXX(2)/2025 E-33080,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Alok Kumar Singh
Date: 15-04-2025
16:5

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 292260 / XXX(2) / 2025 / ई–82384

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(2) मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 अप्रैल, 2025

विषयः विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

किसी शासकीय विभाग की कार्य आवश्यकता व कार्य प्रकृति के आधार पर विभाग के सुसंचालन हेतु पदीय संरचना तैयार करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथा प्रक्रिया सृजित पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप सृजित किये गये पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सम्बन्धित चयन आयोगों के माध्यम से चयन की कार्यवाई की जाती है।

2. छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप विभागीय पदीय संरचना में चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त यथा आवश्यकता चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स के आधार पर सृजित करते हुए इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की अस्थायी तैनाती की जाती रही है। इसके अतिरिक्त विभागों द्वारा पदीय ढाँचे में रिक्त पदों का अधियाचन सम्बन्धित चयन संस्था को प्रेषित किये जाने के उपरान्त नियमित चयन प्रक्रिया आदि में सम्भावित विलम्ब के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में सीधी भर्ती के स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्स संस्था के माध्यम से पदों को भरे जाने हेतु कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–111 दिनांक 27.04.2018 व शासनादेश संख्या–379 दिनांक 29.10.2021 द्वारा सम्बन्धित पदों पर आउटसोर्स एवं अन्य माध्यम से कार्मिकों के नियोजन किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

3. यह व्यवस्था शासकीय कार्य की अपरिहार्यता, सरलीकरण और मितव्ययता के दृष्टिगत सुलभ की गई थी; किन्तु वर्तमान में इसके कई प्रतिकूल प्रभाव सामने आ रहे हैं। कतिपय विभागों में यह प्रकाश में आया है कि सम्बन्धित चयन आयोगों के नियमित चयन परिणाम के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों को जिन पदों पर तैनात किया जाना है, उन पदों पर पूर्व से आउटसोर्स / संविदा आदि पर कार्मिक तैनात होने और इन कर्मियों के पक्ष में सक्षम न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश, कार्यों में हस्तक्षेप से निषेध जैसे विविध आदेश पारित किये गये हैं। इन परिस्थितियों में जहाँ एक ओर नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की बाध्यता है, किन्तु मा० न्यायालय के आदेशों के क्रम में उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने में कठिनाईयां आ रही हैं; वहीं दूसरी ओर मा० न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन न होने पर अवमानना की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी विधिक अड़चनों में नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष निरन्तर असंमजस की स्थिति बनी हुई है।

4. इसके अतिरिक्त नियमित पदों के सापेक्ष कामचलाऊ व्यवस्था के तहत नियोजित आउटसोर्स

कार्मिकों द्वारा इन पदों के सापेक्ष नियमितीकरण की मांग की जा रही है और न्यायालयों में इस आशय के वाद भी दायर किये गये हैं। इससे एक ओर नियमित चयन प्रक्रिया बाधित हो रही है, वहीं दूसरी ओर विभागों को विधिक प्रक्रियाओं/अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।

5. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वस्थ शासकीय कार्य प्रणाली एवं सुशासन के दृष्टिकोण से विभागीय सुसंगत सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों की नियुक्तियाँ की जाएं। नियमित पदों के सापेक्ष किसी भी प्रकार की दैनिक वेतन/संविदा/कार्यप्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/तदर्थ एवं आउटसोर्स माध्यम से नियुक्तियाँ पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी। उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इस क्रम में शासनादेश संख्या-111 दिनांक 27.04.2018 व शासनादेश संख्या-379 दिनांक 29.10.2021 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

6. सभी विभागाध्यक्षों की यह जिम्मेदारी है कि वे विभागान्तर्गत नियमित पदों की सभी रिक्तियों का सम्यक आकलन करते हुए इन पदों पर नियमित भर्ती किये जाने के उद्देश्य से अधियाचन तैयार कर यथा प्रक्रिया सम्बन्धित चयन संस्थाओं को समय से प्रेषित करेंगे और नियमित चयन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु चयन संस्थाओं से समन्वय भी स्थापित करेंगे। इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर समय-समय पर समीक्षा किया जाना भी अपेक्षित है।

कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Anand Bardhan
Date: 25-04-2025
(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

संख्याः 292260 (1)/XXX(2)/2025-E 82384 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
8. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. एन0आई0सी0, देहरादून।
12. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 25-04-2025
11:30:18

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या:287043/XXX (2) / 2025–E 26213
देहरादूनः दिनांक:28मार्च, 2025

अधिसूचना संख्याः 287038 दिनांक 28मार्च, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव / सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
16. गार्ड फाईल।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

Signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 28-03-2025 16:07:15

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या:287038/XXX(2)/2025–E 26213
देहरादून: दिनांक 28 मार्च, 2025

<u>अधिसूचना</u>
<u>प्रकीर्ण</u>

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके एवं इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों की पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं — 2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "पद/पदों" या "सेवा" से संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्तियों के अधीन कोई पद या सेवा अभिप्रेत है।

अध्यारोही प्रभाव — 3. यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गई किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

अर्हकारी सेवा — 4. यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और

में शिथिलीकरण

ऐसी पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद अथवा पदों पर यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर शेष विहित न्यूनतम अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते हैं:

परन्तु, यह कि समूह 'ग' सेवा संवर्ग के पद धारकों को पदोन्नति के लिये यथास्थिति निम्नतर पद अथवा पदों पर पदोन्नति के लिये यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर शेष विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा उनकी अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त नियंत्रक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे, की संस्तुति पर शिथिलीकरण किया जा सकेगा।

शिथिलीकरण की अनुमन्यता

5. (1) किसी कार्मिक को पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलता पूरे सेवाकाल में केवल एक बार के लिए अनुमन्य होगी।

(2) पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि में शिथिलता का लाभ पूर्व में जिन कार्मिकों को प्राप्त हो चुका हो, उन्हें पुनः उक्त लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) यदि किसी पद की सेवा नियमावली में परन्तुक आदि में दिये गये प्रावधानों में अर्हकारी सेवा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किये जाने की व्यवस्था विद्यमान हो, तो भी इस नियमावली के अतिरिक्त अन्य किसी भी सेवा नियमावली में विद्यमान प्रावधानों के अधीन छूट/शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा सकेगा।

(4) इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व यदि किसी कार्मिक द्वारा विभागीय सेवा नियमावली में

परन्तुक आदि में दिये गये प्रावधानों में अर्हकारी सेवा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पात्रता क्षेत्र का विस्तार किये जाने की विद्यमान व्यवस्था के तहत छूट/शिथिलीकरण का लाभ लिया जा चुका है, तो ऐसे कार्मिक को इस नियमावली के अधीन शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(5) शिथिलीकरण की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि ऐसे शिथिलीकरण का लाभ तभी अनुमन्य होगा, जब वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों की पदोन्नति हो गई हो, ताकि कैडर मैनेजमेंट, पारस्परिक ज्येष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी विसंगति उत्पन्न न हो।

(6) शिथिलीकरण के माध्यम से किसी कार्मिक को ऐसी पदोन्नति अनुमन्य नहीं होगी, जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कार्मिक से उच्च पद धारित कर ले।

निरसन 6. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) इस नियमावली के प्रख्यापन के दिनांक से निरसित समझी जायेगी।

Signed by
Anand Bardhan
D(आनन्द बर्द्धन)25 16:03:15
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 287038 dated 28March, 2025 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
N0. 287038/XXX(2)/2025-E 26213
Dehradun, Dated 28March, 2025

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for relaxation in qualifying service for promotion to Uttarakhand Government Servants: -

The Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2025.

Short title commencement and application	1.	(1)	These rules may be called the Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2025.
		(2)	It shall come into force at once.
Definitions	2.		Unless there is anything repugnant in the subject or context, in these rules:-
		(a)	"Constitution" means the Constitution of India;
		(b)	"Governor" means the Governor of Uttarakhand;
		(c)	"Government" means the State Government of Uttarakhand;
		(d)	"Post/Posts or Service" means a post or service under the rule making powers of the Governor conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution.
Overriding	3.		These rules shall have effect

effect			notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders for the time being in force.
Relaxation in Qualifying service	4.		In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such remaining prescribed minimum length of service may be relaxed up to fifty percent in a reasonable manner by the Administrative Department of the Government with the consultation of the Personnel and Vigilance Department, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be:
			Provided that the minimum period prescribed for promotion to the lower post or posts, as the case may be for promotion to the post holders of Group 'C' service cadre may be, relaxed up to 50 per cent of the remaining prescribed minimum period, excluding the probation period as prescribed for promotion, on the recommendation of the concerned Head of Department and a committee constituted under his chairmanship, in which the Finance Controller and another officer nominated by the Head of Department shall be members.
Admissibility of relaxation	5.	(1)	The relaxation in qualifying service for promotion to any employee shall be allowed once in entire service tenure.
		(2)	Employees, who have availed the

benefit of relaxation in the prescribed qualifying service for promotion earlier, shall not be allowed said benefit again.

(3) If there is a provision for extending the eligibility field by providing exemption/ relaxation in qualifying service in the provisions given in proviso etc. in the service rules of any post, then too the benefit of exemption/relaxation shall not be admissible under the provisions existing in any other service rules except these rules.

(4) If, before the promulgation of these rules, any employee has already availed the benefit of exemption/relaxation under the existing system of expanding the field of eligibility by providing exemption/ relaxation in qualifying service in the provisions given in proviso etc. in the Departmental Service Rules, then such employee shall not be allowed for the benefit of relaxation under these rules.

(5) Before granting permission for relaxation it shall be ensured that the benefit of such relaxation shall be allowed only when all senior eligible employee have been promoted so that there is no discrepancy related to cadre management, mutual seniority and pay.

(6) No such promotion shall be allowed to any employee, through relaxation, due to which he/she may hold a higher post than his/her senior eligible employee.

Repeal 6. Uttarakhand Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2010 (as amended from time to time) shall be deemed to be repealed from the date of

promulgation of these Rules.

By Order,

Anand Bardhan
Additional Chief Secretary.

192925/2024

192925/2024

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्या:192925/xxvii(7)/ई–50417/2023

देहरादून, दिनांक:23 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 204/XXVII(7)/25(03)2013 दिनांक 28.10.2016 के द्वारा राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे में स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे में निम्नवत् संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड वेतन	पुनरीक्षित वेतनमान/ वेतन लेवल	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1.	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन–2800	29200–92300 लेवल–5	44	44
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	35400–112400 लेवल–6	35	32
3.	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन–4600	44900–142400 लेवल–7	15	11
4.	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन–4800	47600–151100 लेवल–8	—	07
5.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100 ग्रेड वेतन–5400	56100–177500 लेवल–10	06	06

2. सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्तानुसार सुसंगत सेवा नियमावलियों में यथाप्रक्रिया संशोधन कर लिया जायेगा।
3. उक्तानुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश निर्गत किए जाएंगे।
4. उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप सं0 204/XXVII(7)/25(03)2013 दिनांक: 28.10.2016 सपठित शासनादेश संख्या–131/XXVII(7) 35(3)/2013 दिनांक 14.07.2016 एवं शासनादेश संख्या–875/XXVII(7) न0प्रति0/2011 दिनांक 08.03.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 22-02-2024 17:42:30

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या:192925/xxvii(7)/ई–50417/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन व हकदारी, देहरादून।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 22-02-2024 17:44:16
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by SANDEEP KUMAR, RO-Finance Section 7-SR. REVIEW OFFICER, Finance Department on 23/02/2024 10:07 AM

संख्या–478 /XLI–B–1/25/06–सामान्य/2022/E-27797

प्रेषक,

सी0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादूनः दिनांक 30 मार्च, 2025

विषयः–उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–922/XLI-B-I/23/06–सामा0/2022/E-27797, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस "जेम" (GeM) के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित "रोजगार प्रयाग पोर्टल" के माध्यम से लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– आउटसोर्सिंग मैनपावर सम्बन्धी उक्त शासनादेश संख्या–922, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/प्राविधानों के क्रम में विभागों द्वारा इंगित कतिपय कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या–922, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए आउटसोर्सिंग मैनपावर के सम्बन्ध में रोजगार प्रयाग पोर्टल में निम्न प्रक्रियाओं का समावेश किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1)–आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती के सम्बन्ध में शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आधारित चयन; जनपदवार चयन; विशिष्ट पदों की आवश्यकता यथा जेण्डर आदि आधारित चयन एवं जनपद के अन्तर्गत प्रशासनिक ईकाई आधारित चयन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर निम्नलिखित फिल्टर (Filter) स्थापित किये जायेंगेः–

(I)–शासकीय विभाग द्वारा पद विशेष की आवश्यकतानुसार चयन किये जाने के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष शासकीय विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता/विशिष्ट अर्हता के सम्बन्ध में मैरिट (शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि) आधारित चयन।

(II)–शासकीय विभाग की पद विशेष की आवश्यकतानुसार कार्मिकों की भर्ती जनपदवार किये जाने का विकल्प। इस हेतु अभ्यर्थियों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(III)–शासकीय विभाग द्वारा की गई माँग के अनुसार पद की विशिष्टियों के अनुरूप यथा जेण्डर आधारित, दिव्यांग कार्मिक आदि का विकल्प।

(IV)–शासकीय विभाग की आवश्यकतानुसार जनपदों के अन्तर्गत किसी प्रशासनिक इकाई यथा ब्लॉक/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत में निवासरत अभ्यर्थियों के चयन का विकल्प। इस हेतु अभ्यर्थियों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(2)–रोजगार प्रयाग पोर्टल में किसी फिल्टर (Filter) अथवा एक या एक से अधिक फिल्टर को शासकीय विभाग के अनुरोध पर खोला जायेगा। यदि शासकीय विभाग द्वारा फिल्टर खोले जाने का अनुरोध नहीं किया गया है, तो उक्त फिल्टर नहीं खोले जायेंगे। शासकीय विभाग द्वारा जितने फिल्टर खोले जाने का अनुरोध किया जायेगा, मात्र उतने ही फिल्टर खोले जायेंगे।

(3)–इस सम्बन्ध में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टरों (Filters) को Apply/Open करने की प्रक्रिया निम्नानुसार की जायेगी–

(I)–सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या सहित पद की आवश्यकतानुसार वांछित फिल्टर/फिल्टरों को Open करने हेतु ऑनलाईन अनुरोध किया जायेगा।

(II)–शासकीय विभाग का अनुरोध प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी द्वारा मॉग के अनुरूप फिल्टर/फिल्टरों को Open किया जायेगा, जिसे शासकीय विभाग द्वारा क्रॉस चेक करते हुए पुष्टि की जायेगी।

(III)–यदि शासकीय विभाग द्वारा यह पाया जाता है कि उसके द्वारा फिल्टर/फिल्टरों को खोले जाने सम्बन्धी अनुरोध एवं नोडल अधिकारी द्वारा Open किये गये फिल्टर में भिन्नता है, तो उसके द्वारा संशोधन हेतु नोडल अधिकारी से अनुरोध करते हुए वांछित फिल्टर को Open कराया जायेगा। शासकीय विभाग का यह समाधान होने पर कि उनके द्वारा मॉग के अनुरूप फिल्टर Open कर दिये गये हैं, शासकीय विभाग द्वारा उक्त फिल्टर/फिल्टरों को Lock किया जायेगा। एक बार फिल्टर Lock होने पर इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

(IV)–तत्पश्चात सेवाप्रदाता द्वारा पंजीयन कराये जाने के उपरान्त पोर्टल पर रिक्तियों को अपलोड किया जायेगा, जिसका सत्यापन शासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा।

(V)–शासकीय विभाग के अनुरोध पर Open किये गये फिल्टर/फिल्टरों के आधार पर उक्त अधिसूचना के क्रम में पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की रेण्डमाइज्ड सूची सेवाप्रदाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4)–सम्बन्धित शासकीय विभाग एवं सेवाप्रदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा निर्धारित मानकों एवं आवश्यक अर्हताओं से विपरीत चयन न किया जाय। चयन से पूर्व प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के परीक्षण (Screening) में यह संज्ञानित होने पर कि आवेदक द्वारा निर्धारित मानकों के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को चयन

से पृथक कर दिया जायेगा। यदि गलत तथ्यों के आधार पर किसी अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, तो सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा सेवाप्रदाता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। नियमानुसार चयन किया जाना सेवाप्रदाता एवं सम्बन्धित शासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(5)–शासनादेश संख्या–922, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 के प्रस्तर–3 में रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर स्थापित चयन प्रकिया को यथावत रखते हुए निम्नवत् संशोधनों को सम्मिलित किया जा रहा है:–

(I)–रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया को अधिकतम तीन बार में पूर्ण किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था के कम में प्रथम बार, अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों में से 03 गुना रेण्डमाइज्ड सूची उपलब्ध करायी जायेगी। जबकि द्वितीय एवं तृतीय बार क्रमशः 05 गुना एवं 10 गुना रेण्डमाइज्ड सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार किसी चरण में उपलब्ध करायी गयी रेण्डमाइज्ड सूची में से यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध/चयनित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले चरण (यथास्थिति द्वितीय/तृतीय बार) में रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन की कार्यवाही किये जाने से पूर्व, पूर्ववर्ती चरण में पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारणों सहित सेवाप्रदाता द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को आख्या प्रेषित की जायेगी। सेवाप्रदाता द्वारा प्रेषित उक्त आख्या पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही चयनित अभ्यर्थियों को अधिसूचित रिक्तियों से घटाते हुए अवशेष रिक्तियों की यथा अपेक्षित संख्या की रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(II)–शासकीय विभाग द्वारा की गई माँग के अनुसार शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि आधारित चयन के सम्बन्ध में इस हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टर (Filter) को Apply करते हुए शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि के अवरोही कम (Descending order) में रेण्डमाइज्ड सूची सेवाप्रदाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)–शासनादेश संख्या–922, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 के प्रस्तर–3 के बिन्दु सं0–22 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आउटसोर्स कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में 'राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा में आबद्ध करने हेतु उपलब्ध पदों पर आरक्षण सम्बन्धी' कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–92/XXX(2)/2021–3(15)/2012, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 में निहित प्राविधानों एवं इस सम्बन्ध में प्रचलित अन्य संगत नियमों को लागू किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शासकीय विभाग का होगा। विभागाध्यक्ष द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में आरक्षण से सम्बन्धित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(7)–पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट आवश्यकता/कठिनाई के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, न्याय विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य के रूप में

सम्मिलित होगें, के द्वारा यथा अपेक्षित निर्णय लिये जा सकेंगे। उक्तवत् समिति गठन के आदेश पृथक से किये जायेंगे।

3— उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0—922 / XLI-B-1 / 23 / 06—सामा0 / 2022 / E-27797, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

4— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0—I/287237/2025, दिनांकः 29 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
C Ravi Shankar
Date: 30-03-2025 17:30:02
(सी0 रवि शंकर)
सचिव।

संख्या— 2780/XLI—B—1/25 / 06—सामान्य / 2022 / E-27797, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निदेशक (प्रशिक्षण / सेवायोजन), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
2— समस्त नोडल अधिकारी, रोजगार प्रयाग पोर्टल।
3— राष्ट्रीय सूचना—विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Ratan Lal
Date: 30-03-2025 17:38:36 (रतन लाल)
अनु सचिव।

I/209035/2024

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023
देहरादून : दिनाँक: 06 मई, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में अग्रत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।"

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–7 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए,	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए :
परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;	परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय :
परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हों अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हों तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो,	परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हों अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हों तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो,

Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 06/05/2024 01

I/209035/2024

नियम–9 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–9 के खण्ड (क) (दो) तथा टिप्पणी के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी.टी.सी. के नाम से जाना जाता था) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल. एड./चार वर्षीय बी.एल.एड. अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।	(दो) राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी०एल०एड० (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी०टी०सी० के नाम से जाना जाता था) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी०एल०एड०/चार वर्षीय बी०एल० एड० प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिलेख अभ्यर्थी को प्राप्त हो चुके हों अथवा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) किन्तु इस प्रकार कक्षा I-V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा:
परन्तु यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी० आई०) द्वारा मान्यता प्राप्त हो,	परन्तु यह कि शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी० आई०) द्वारा मान्यता प्राप्त हो :
परन्तु यह और कि राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र, जिनके द्वारा मानव संसाधन, विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–856 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के क्रम में दिनांक 31–03–2019 तक इस सेवा नियमावली के नियमों के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु दी गयी अर्हतायें पूर्ण कर ली गई हैं, को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा,	परन्तु यह और कि राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र, जिनके द्वारा मानव संसाधन, विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–856 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के क्रम में दिनांक 31–03–2019 तक इस सेवा नियमावली के नियमों के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु दी गयी अर्हतायें पूर्ण कर ली गई हैं, को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा,
परन्तु यह और कि ऐसे शिक्षा मित्र जो दिनांक 31–03–2019 तक सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं, को भविष्य में उनके द्वारा शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में सेवा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति के समय शिक्षा मित्र के रूप में उनके द्वारा किये गये शिक्षण अनुभव का लाभ (भारांक) दिया जायेगा। शैक्षणिक अर्हता के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधन यथावत् लागू रहेंगे।	परन्तु यह और कि ऐसे शिक्षा मित्र जो दिनांक 31–03–2019 तक सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं, को भविष्य में उनके द्वारा शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में सेवा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति के समय शिक्षा मित्र के रूप में उनके द्वारा किये गये शिक्षण अनुभव का लाभ (भारांक) दिया जायेगा। शैक्षणिक अर्हता के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के संशोधन यथावत् लागू रहेंगे।
टिप्पणी– खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं विषय संयोजन अर्हताधारियों के उपलब्ध न होने पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा	टिप्पणी– खण्ड (ख) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं विषय संयोजन अर्हताधारियों के उपलब्ध न होने

Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section I-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 06/05/2024 01

I/209035/2024

राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों के न्यूनतम 05 वर्ष अध्यापन अनुभव को 03 वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है। तदोपरान्त भी पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी। सीधी भर्ती पूर्ववत् निर्धारित प्रक्रिया, आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष के अन्तर्गत होगी तथा सीधी भर्ती में निचले प्रक्रम पर कार्यरत शिक्षकों को भी आवेदन का अवसर दिया जायेगा, जिसके लिए खण्ड (ख) में उल्लिखित सम्बन्धित विषय के अध्यापन हेतु स्नातक स्तर पर विषय संयोजन की बाध्यता के अतिरिक्त निम्न शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताधारी होना अनिवार्य होगा :-	पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों के न्यूनतम 05 वर्ष अध्यापन अनुभव को 03 वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है। तदोपरान्त भी पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भी नियुक्ति की जा सकेगी। सीधी भर्ती पूर्ववत् निर्धारित प्रक्रिया, आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष के अन्तर्गत होगी तथा सीधी भर्ती में निचले प्रक्रम पर कार्यरत शिक्षकों को भी आवेदन का अवसर दिया जायेगा, जिसके लिए खण्ड (ख) में उल्लिखित सम्बन्धित विषय के अध्यापन हेतु स्नातक स्तर पर विषय संयोजन की बाध्यता के अतिरिक्त निम्न शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताधारी होना अनिवार्य होगा :-
भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी०टी०सी०/डी०एल०एड०) उत्तीर्ण कर चुका हों तथा तत्सम्बन्धी अभिलेख अभ्यर्थी को प्राप्त हो चुके हों।	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी०टी०सी०/डी०एल०एड०) उत्तीर्ण कर चुका हों तथा तत्सम्बन्धी अभिलेख अभ्यर्थी को प्राप्त हो चुके हों।
अथवा	अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)/एल०टी० अथवा शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत उत्तीर्ण हो।	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)/एल०टी० अथवा शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत उत्तीर्ण हो।
अथवा	अथवा
न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)/एल०टी० अथवा शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।	न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)/एल०टी० अथवा शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
अथवा	अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण हो।	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण हो।
एवं	एवं
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा-VI-VIII के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०-II) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा-VI-VIII के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०-II) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

नियम 15 (3) का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम-15 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा अन्तःस्थापित नियम
(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षितों के	(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में द्विवर्षीय डी०एल०एड०/चार

Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 06/05/2024 01

I/209035/2024

चयन हेतु अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी०टी०सी० अथवा डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी०ई०टी०–प्रथम परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखें जायेंगे, जबकि बी०एड० प्रशिक्षितों के चयन हेतु अभ्यर्थियों के नाम, उनकी शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त गुणांकों के योग के अनुसार प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता के अवरोही क्रम में रखें जायेगें। गुणांकों की गणना निम्नवत् की जायेगी :—

क्र सं	परीक्षा/उपाधि का नाम		गुणांक
1	हाईस्कूल		अंकों का प्रतिशत×0.75 / 10
2	इण्टरमीडिएट		अंकों का प्रतिशत×1.5 / 10
3	स्नातक		अंकों का प्रतिशत×2.25 / 10
4	चार वर्षीय बी.एल.एड. /बी.एड./डी.एड. (विशेष शिक्षा)	(क)– सिद्धान्त	अंकों का प्रतिशत×3 / 10
		(ख)– प्रयोगात्मक	अंकों का प्रतिशत×1.5 / 10
5	अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम (I-V)		अंकों का प्रतिशत×1 / 10

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड राज्य की राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र/औपबन्धिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर दिनांक 31–03–2019 को कार्यरत शिक्षा मित्र (जिनके मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अथवा परियोजनान्तर्गत किया गया है), जो नियुक्ति हेतु पात्र हो, को शिक्षण अनुभव के प्रतिवर्ष 1.0 अंक के अनुसार, किन्तु अधिकतम 12 अंक प्रदान किये जायेंगे एवं अनुभव के कुल गुणांकों को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण के आधार पर प्राप्त गुणांकों के साथ जोड़ते हुए श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा (सेवा की गणना, संशोधित नियम–7 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान होने की स्थिति में विज्ञप्ति वर्ष की 01 जनवरी अथवा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान होने की स्थिति में विज्ञप्ति वर्ष की 01 जुलाई के अनुसार की जायेगी)

परन्तु यह और कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जायेगा।

वर्षीय बी०एल०एड० प्रशिक्षितों के चयन हेतु अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी०टी०सी० अथवा डी०एल०एड०/चार वर्षीय बी०एल०एड०/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी०ई०टी०–प्रथम परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखें जायेंगे :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र/औपबन्धिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर दिनांक 31–03–2019 को कार्यरत शिक्षा मित्र (जिनके मानदेय का भुगतान राज्य सरकार अथवा परियोजनान्तर्गत किया गया है), जो नियुक्ति हेतु पात्र हो, को शिक्षण अनुभव के प्रतिवर्ष 1.0 अंक के अनुसार, किन्तु अधिकतम 12 अंक प्रदान किये जायेंगे एवं अनुभव के कुल गुणांकों को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण के आधार पर प्राप्त गुणांकों के साथ जोड़ते हुए श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा (सेवा की गणना, संशोधित नियम–7 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई के अनुसार की जायेगी)

परन्तु यह और कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जायेगा।

Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section I-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 06/05/2024 01

I/209035/2024

नियम 15 (6) में संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–15 के उप नियम (6) को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(6) नियमावली के नियम 9(क) के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डी०एल० एड०/चार वर्षीय बी०एल०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जायेगी। डी०एल०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बी०एड०/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा; परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत है, (अर्थात राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत) वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।	(6) विलोपित

Signed by Raman Ravinath
Date: 06-05-2024 13:21:18

(रविनाथ रामन)
सचिव

6|2–

Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 06/05/2024 01

BES1-MISC/25.1/11/2023-XXIV-A-1-Basic Education Department

I/214145/2024

<u>संख्या- 214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023</u>

प्रेषक,

रविनाथ रमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 29 मई, 2024

विषयः सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–प्रा०शि०–दो(2)/785–2024/1664/2024–25, दिनांक 08 मई, 2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में हैं।

2– मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–5069/2023 देवेश शर्मा प्रति भारत संघ के प्रकरण में दिनॉक 11.08.2023 में पारित निर्णय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनॉकित 28.06.2018, जिसके माध्यम से कक्षा एक से पॉच तक के विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु भर्ती प्रकिया में बी0एड0 डिग्रीधारकों को अर्ह बनाया गया था, उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। उक्त के क्रम में एन0सी0टी0ई0 के सभी राज्यों को सम्बोधित पत्र दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012" (यथासंशोधित) में अग्रेत्तर "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2024" संशोधित की गयी है।

3– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रचलित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012" (यथासंशोधित) में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों को भरे जाने हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्त रह गये उक्त पदों को अग्रेनित करते हुये वर्तमान में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4– साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्तमान में प्रचलित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012" (यथासंशोधित) में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले जिन अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2020 व वर्ष 2021 में विज्ञापित पदों पर आवेदन किया गया है, किन्तु जिनको नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है। उन अभ्यर्थियों को पूर्व में किये गये आवेदन के आधार पर ही नवीन विज्ञप्तियों में सम्मिलित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 29-05-2024 11:48:58

(रविनाथ रमन)
सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/785–2024/ 37-18 –21 /2024–25 दिनांक : 07 जून, 2024

विषय : **सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–214145/XXIV-A-1/2024–49375/2023 दिनांक 29 मई, 2024 द्वारा वर्तमान में प्रचलित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों को भरे जाने हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्त रह गये उक्त पदों को अग्रेनित करते हुए वर्तमान में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

02– उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि :–

- अधिसूचना संख्या–209035/XXIV-A-1/2024–49375/2023 दिनांक 06 मई, 2024 द्वारा "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली–2024" प्रख्यापित की गयी है। जिसमें पूर्व विद्यमान नियम–7, नियम–9(क)(दो), नियम–15(3) तथा नियम–15(6) को संशोधित किया गया है।
- उक्त के क्रम में जनपद स्तर पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति निर्गत किया जाना होगा। शासनादेश संख्या–214145/XXIV-A-1/2024–49375/2023 दिनांक 29 मई, 2024 द्वारा वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों को भरे जाने हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्त रह गये पदों को अग्रेनीत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।
- वर्ष 2021 में निदेशालय के पत्र संख्या/प्रा०शि०–दो(2)/519–2021/7329/2021–22 दिनांक 05–10–2021 एवं पत्र संख्या/प्रा०शि०–दो(2)/519–2021/7880–82/2021–22 दिनांक 21–10–2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद स्तर पर दिव्यांगजन बैकलॉग सहित प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में रिट याचिका संख्या–90/एम०बी०/2024 मनोज पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य विचाराधीन है। तथापि वर्ष 2021 के विज्ञापित पदों को वर्तमान विज्ञप्ति में अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।
- निदेशालय के पत्र संख्या/प्रा०शि०–दो(2)/19061–75/148(18)/2018–19 दिनांक 14–12–18 द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के बैकलॉग सहित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रेषित पत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग की उल्लिखित रिक्त पदों की वर्ष 2018–19 तथा वर्ष 2020–21 में विज्ञप्ति

प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त पत्र में बैकलॉग के उल्लिखित पदों की संख्या के सापेक्ष वर्तमान में भी बैकलॉग शेष हो तो, उसे भी रिक्त पदों के अन्तर्गत विज्ञापित किया जाय।

- अवमानना वाद संख्या–21/2019 के क्रम में राज्य स्तर पर दिव्यांगजन के 331 पदों का बैकलॉग निर्धारित था, जिसमें से 137 पद विभिन्न जनपदों द्वारा तद्समय रिक्त पद की सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2021 में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में दिव्यांगजन के 194 पदों का बैकलॉग भरे जाने हेतु शेष है। उक्त शेष 194 दिव्यांगजन के बैकलॉग के पदों को भी वर्तमान में रिक्त पदों के अन्तर्गत ही विज्ञापित कराया जाय। जनपदवार दिव्यांगजन के शेष 194 पदों की संख्या का विवरण संलग्न है।
- शासनादेश संख्या–214145/XXIV-A-1/2024–49375/2023 दिनांक 29–05–24 द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले जिन अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2020 में विज्ञापित पदों पर आवेदन किया गया है, किन्तु जिनको नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है। उन अभ्यर्थियों को पूर्व में किये गये आवेदन के आधार पर ही नवीन विज्ञप्तियों में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त में यह सुनिश्चित कर लें कि वर्ष 2020–21 में आवेदन करने वालों की शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता दिनांक 29–05–2024 के संशोधित उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु दी गयी शैक्षिक, प्रशिक्षण योग्यता के अनुसार हो।
- "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (यथा संशोधित–2024)" के नियम–9 (क)(दो) में प्रशिक्षण अर्हतायें निर्धारित की गयी है। तथा तद्नुसार ही सेवा नियमावली के नियम–15 के प्राविधानों के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन की कार्यवाही सम्पादित की जाय।
- अभ्यर्थियों के चयन के उपरान्त नवीन नियुक्ति पर पदस्थापना लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अनुसार जनपद के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा।
- नियुक्ति प्राधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि०) द्वारा नवीन नियुक्ति के उपरान्त उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (यथा संशोधित नियमावली) के नियम–21 (1) के क्रम में नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अन्तर्गत समस्त नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक, प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच सम्बन्धित संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनिवार्यतः कराया जायेगा।

- जनपद स्तर पर की गयी नियुक्तियों के उपरान्त सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की रोस्टर पंजिका को भी अद्यावधिक करते हुए संकलित सूचना प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या–214145 दिनांक 29–05–2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर तत्काल विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 (यथा संशोधित सेवा नियमावली)" के प्राविधानों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय

07/6/24

(आर० के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/785–2024/3718-21 /2024–25 दिनांक : उक्तवत्

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

07/6/24

(आर० के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधमसिंह नगर

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18471-72 /2024–25 दिनांक : 12 मार्च, 2025

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–280569/XXIV-A-1/2025–84446/2025 दिनांक 06 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4680/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 07–02–2024 एवं पत्र संख्या–5678/नि०को०/एन० पी०एस०/2024 दिनांक 07–02–2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद ऊधमसिंह नगर के 54 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 54 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06 मार्च, 2025 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 54 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि मूल में।

भवदीय
12/03/25
(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18471-72 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन

बेसिक शिक्षा अनुभाग—01

संख्याः—286569/XXIV-A-1/2025-84446/2025

देहरादूनः दिनांक : 06 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर—3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2— उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विकासखण्ड सितारगंज एवं खटीमा के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—4678/नि0को0/ एन0पी0एस0/2024 दिनांक 07.02.2025 एवं पत्र संख्या—4680/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 07.02.2025 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद जनपद ऊधमसिंहनगर के 54 निम्नलिखित कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना (OPS)' से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में योगदान तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
			विकासखण्ड—सितारगंज				
1.	श्री मोहन सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
2.	श्री जयपाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
3.	श्री गोबीलाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	12.11.2005	सीधी भर्ती
4.	श्री खजान सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
5.	श्री रमेश चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
6.	श्री विकास कुमार चौधरी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
7.	श्रीमती किरन राणा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती

8.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	12.11.2005	सीधी भर्ती
9.	श्री राकेश कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	12.11.2005	सीधी भर्ती
10.	श्री हरविन्दर सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
11.	श्री रमेश चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	10.11.2005	सीधी भर्ती
12.	श्री शोभा चन्द्र पंत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	10.11.2005	सीधी भर्ती
13.	श्री वीरेन्द्र पाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
14.	श्री चन्द्रपाल सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
15.	श्री जनार्दन प्रताप सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
16.	श्रीमती लक्ष्मी गर्ब्याल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	12.11.2005	सीधी भर्ती
17.	श्री सुरेश बाबू राणा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
18.	श्रीमती दर्शना	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
19.	श्रीमती गीता तिवारी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
20.	श्री बाबू राम	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
21.	श्री नरेन्द्र कुमार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
22.	श्री कृष्ण चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	12.11.2005	सीधी भर्ती
23.	श्रीमती उमा कुमारी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
24.	श्रीमती संगीता गुप्ता	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
25.	श्री संजय सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
26.	श्री जगदीश नारायण	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
27.	श्री वीर सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
28.	श्री विजय प्रताप सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती

29.	श्री सुनील कुमार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
			विकासखण्ड–खटीमा				
30.	श्री मदन सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
31.	श्री अश्वनी कुमार गुम्बर	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	10.11.2005	सीधी भर्ती
32.	श्री मुकेश सिंह राणा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
33.	श्री दीपक खोलिया	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
34.	श्री दिनेश चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
35.	श्री केशव दत्त	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
36.	श्री आलोक कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	12.11.2005	सीधी भर्ती
37.	श्री सीयानन्द	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
38.	श्री राजेन्द्र सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
39.	सुश्री रजिन्द्र कौर	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
40.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	12.11.2005	सीधी भर्ती
41.	श्री राजेश चन्द्र जोशी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
42.	श्री बद्रीप्रसाद सिंह कुशवाहा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
43.	श्रीमती अम्बिका कुशवाहा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
44.	श्रीमती निरंजना जोशी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
45.	श्रीमती अनीता रानी अरोरा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
46.	श्रीमती कमला भण्डारी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
47.	श्रीमती रेखा बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
48.	श्रीमती राजेन्द्री देवी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती

49.	श्रीमती सारिका सक्सेना	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	11.11.2005	सीधी भर्ती
50.	श्रीमती राखी रानी मौर्या	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
51.	श्री दीपचन्द्र कुशवाहा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	08.11.2005	12.11.2005	सीधी भर्ती
52.	श्री राजेन्द्र कुमार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	21.09.2005	07.10.2005	13.10.2005	सीधी भर्ती
53.	श्रीमती हीना कौसर	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	17.02.2004	22.06.2006	03.07.2006	सीधी भर्ती
54.	श्रीमती रेशमा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	17.02.2004	22.06.2006	01.07.2006	सीधी भर्ती

Signed by
Ravinath Raman (रविनाथ रामन)
Date: 06-03-2025 12:26:14 सचिव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–4678/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 07.02.2025 एवं पत्र संख्या–4680/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 07.02.2025 के क्रम में।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून। (समस्त विकल्प पत्र मूल रूप में प्रेषित)
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद ऊधमसिंहनगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जनपद ऊधमसिंहनगर।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 06-03-2025 13:29:52
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18093-94 /2024–25 दिनांक : 05 मार्च, 2025

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–276993/XXIV-A-1/2025–78636/2024 दिनांक 19 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2787/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 10–10–2024 प्राप्त आख्या के आलोक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद देहरादून के 03 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 03 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 फरवरी, 2025 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 03 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि मूल में।

भवदीय
05/03/25
(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18093-94 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

१

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18118-19 /2024–25 दिनांक : 05 मार्च, 2025

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–276993/XXIV-A-1/2025–78636/2024 दिनांक 19 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4280/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 10–01–2025 प्राप्त आख्या के आलोक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद हरिद्वार के 21 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 21 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 फरवरी, 2025 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 21 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि मूल में।

भवदीय
05/03/25
(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18118-19 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

05/03/25
(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18120 – 21 /2024–25 दिनांक : 05 मार्च, 2025

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–276991/XXIV-A-1/2025–78636/2024 दिनांक 19 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1484/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 16–07–2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद चम्पावत के 07 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/ प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 07 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 फरवरी, 2025 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 07 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि मूल में।

भवदीय,

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18120 -21 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18122-23 /2024–25 दिनांक : 05 मार्च, 2025

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–276991/XXIV-A-1/2025–78636/2024 दिनांक 19 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–3335/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 14–11–2024 एवं पत्र संख्या–4167/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 02–01–2025 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के 02 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 02 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 फरवरी, 2025 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 02 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि मूल में।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18122-23 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18124-25 /2024–25 दिनांक : 05 मार्च, 2025

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–276991/XXIV-A-I/2025–78636/2024 दिनांक 19 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1865/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 08–08–2024 एवं पत्र संख्या–1566/नि०को०/एन० पी०एस०/2024 दिनांक 22–07–2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद अल्मोड़ा के 15 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 15 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 फरवरी, 2025 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 15 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि मूल में।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18124-25 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18126-27 /2024–25 दिनांक : 05 मार्च, 2025

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–276991/XXIV-A-1/2025–78636/2024 दिनांक 19 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1401/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 08–07–2024 एवं पत्र संख्या–2694/नि०को०/एन०पी०एस०/2024 दिनांक 03–10–2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद बागेश्वर के 72 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 72 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 फरवरी, 2025 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 72 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि मूल में।

भवदीय

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 18126-27 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

935
24-2-25

D.D सेवा-2 I/276993/20

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्याः–276993 /XXIV-A-1/2025-78636/2024
देहरादूनः दिनांक : 19 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर–3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2– उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद देहरादून एवं जनपद हरिद्वार के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2787/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 10.10.2024, पत्र संख्या–2788/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 10.10.2024, पत्र संख्या–4280/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 10.01.2025 एवं पत्र संख्या–4381/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 20.01.2025 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद देहरादून के 03 एवं जनपद हरिद्वार के 21 निम्नलिखित कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना (OPS)' से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में योगदान तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
			जनपद देहरादून				
1.	मो0 अनवारूल हक	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	19.09.2004	19.12.2009	22.12.2009	सीधी भर्ती
2.	मो0 कासिम	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	19.09.2004	28.06.2011	01.07.2011	सीधी भर्ती
3.	श्रीमती जयश्री बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	25.10.2005	सीधी भर्ती
			जनपद हरिद्वार				
1.	श्री नूरहसन	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
2.	श्री सईद अहमद	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
3.	श्री हसीन अहमद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.03.2012	20.03.2012	सीधी भर्ती
4.	श्रीमती शाने जैहरा	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	24.02.2006	सीधी भर्ती
5.	श्रीमती शाहीना	सहायक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती

	प्रवीन	अध्यापक					
6.	श्री मुर्तजा हसन	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
7.	श्री तोहीदुल्ला खाँ	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	30.08.2008	सीधी भर्ती
8.	मौ0 यूनुस	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
9.	मु0 फुरकान	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
10.	मु0 रिजवान	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	26.02.2006	सीधी भर्ती
11.	श्री शमीम अहमद	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	30.08.2008	सीधी भर्ती
12.	मौ0 अय्यूब	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	30.08.2008	सीधी भर्ती
13.	श्रीमती अतिया	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
14.	श्री तारिक हुसैन अनवर	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
15.	श्रीमती सुल्ताना	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	26.07.2006	सीधी भर्ती
16.	मौ0 इस्लाम	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	30.08.2008	सीधी भर्ती
17.	मौ0 आकिल	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
18.	श्रीमती तहजीब अनवर	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	16.03.2006	17.03.2006	सीधी भर्ती
19.	श्रीमती साजदा	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
20.	मौ0 सुलेमान	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
21.	श्री महबूब हसन	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	08.08.2007	17.08.2007	सीधी भर्ती

Signed by
Ravinath Raman
Date: 19-02-2025 14:38:36

(रविनाथ रामन)
सचिव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–2787, दिनांक 10.10.2024, पत्र संख्या–2788, दिनांक 10.10.2024, पत्र संख्या–4280, दिनांक 10.01.2025 एवं पत्र संख्या–4381, दिनांक 20.01.2025 के क्रम में।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून (समस्त विकल्प पत्र मूल रूप में प्रेषित)।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून एवं हरिद्वार
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जनपद देहरादून एवं हरिद्वार
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 19-02-2025 15:38:01

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्याः– 276991 /XXIV-A-1/2025-72987/2024
देहरादूनः दिनांकः 19 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर–3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2–उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–104134/2024 दिनांक 08.08.2024, 98153/2024, दिनांक 22.07.2024 128061/2024 दिनांक 14.11.2024, 4167/नि.को./एन.पी.एस./2024 दिनांक 02.01.2025, 96731/2004 दिनांक 16.07.2004, 94582/2024 दिनांक 08.07.2024 एवं 118697/2024 दिनांक 03.10.2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद अल्मोड़ा, जनपद पिथौरागढ़, जनपद चम्पावत एवं जनपद बागेश्वर के निम्नलिखित कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना (OPS)' से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि	विभाग में योगदान तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
जनपद अल्मोड़ा							
1.	श्रीमती कुमुद पाण्डेय	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती

2.	श्रीमती मीना भट्ट	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
3.	श्री जगदीश चन्द्र	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10..2005	सीधी भर्ती
4.	श्री खीम सिंह कैड़ा	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
5.	श्री पूरन प्रकाश	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
6.	श्री प्रेम प्रकाश जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
7.	श्रीमती भावना पाण्डे	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
8.	श्री नवीन चन्द्र	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	7.10.2005	सीधी भर्ती
9.	श्री फकीर राम	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	6.10.2005	सीधी भर्ती
10.	श्री गिरीश चन्द्र	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	5.10.2005	सीधी भर्ती
11.	श्री नन्दन सिंह रौतेला	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	27.10.2005	सीधी भर्ती
12.	श्री भानु प्रकाश जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	14.10.2005	सीधी भर्ती
13.	श्री गिरीश चन्द्र तिवारी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	4.10.2005	सीधी भर्ती
14.	श्रीमती भागीरथी जंगपांगी	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	5.10.2005	सीधी भर्ती
15.	श्री योगेन्द्र सिंह	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	5.10.2005	सीधी भर्ती

जनपद पिथौरागढ़							
16.	श्रीमती मीता तिवारी	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	19.10.2005	सीधी भर्ती
17.	श्री नारायण कुमार	पुलिस आरक्षी वर्तमान में स.अ.	पुलिस विभाग	04.06.2005	22.10.2005	22.10.2005	पु.आरक्षी के पद से कार्यमुक्त हो कर स. अ. के पद पर कार्यरत।
जनपद चम्पावत							
18.	श्री बद्री सिंह बोरा	स0अ0	शिक्षा विभाग	16.09.2005	21.10.2005	21.10.2005	सीधी भर्ती
19.	श्री खीमेंन्द्र सिंह रौतेला	स0अ0	शिक्षा विभाग	16.09.2005	21.10.2005	21.10.2005	सीधी भर्ती
20.	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	16.09.2005	21.10.2005	21.10.2005	सीधी भर्ती
21.	श्री दीपक चन्द्र पुनेठा	स0अ0	शिक्षा विभाग	16.09.2005	21.10.2005	22.10.2005	सीधी भर्ती
22.	श्री चतुर सिंह मौनी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	16.09.2005	21.10.2005	22.10.2005	सीधी भर्ती
23.	श्रीमती रश्मि उपाध्याय	स0अ0	शिक्षा विभाग	16.09.2005	07.10.2005	14.10.2005	सीधी भर्ती
24.	श्रीमती मंजू वर्मा	स0अ0	शिक्षा विभाग	16.09.2005	21.10.2005	24.10.2005	सीधी भर्ती

जनपद बागेश्वर

25.	श्री पूरन चन्द्र पाण्डे	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	08.10.2005	सीधी भर्ती
26.	श्री प्रहलाद सिंह	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
27.	श्री पूरन चन्द्र पन्त	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	08.10.2005	सीधी भर्ती
28.	श्री बिपिन चन्द्र भट्ट	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
29.	श्री लाल सिंह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
30.	श्री प्रेम सिंह	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
31.	श्रीमती सुमन पाण्डे	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
32.	श्री नवीन चन्द्र पाठक	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
33.	श्री गोवर्द्धन जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
34.	श्रीमती कमला राठौर	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
35.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	08.10.2005	सीधी भर्ती
36.	श्री चंदन सिंह धमौला	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
37.	श्रीमती सरस्वती कोरंगा	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती

38.	श्री ब्रहमपाल	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	08.10.2005	सीधी भर्ती
39.	श्रीमनोज जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	08.10.2005	सीधी भर्ती
40.	श्रीमती वन्दना साह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	13.10.2005	सीधी भर्ती
41.	श्रीमती उषा साह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	13.10.2005	सीधी भर्ती
42.	श्री नन्दा बल्लभ जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
43.	श्री सुशील कुमार रौतेला	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
44.	श्री कुन्दन सिंह	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
45.	श्री भरत सिंह	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
46.	श्री किशन सिंह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
47.	श्री सुरेश चन्द्र काण्डपाल	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
48.	श्रीमती नीमा पाण्डेय	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
49.	श्री दीपक जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.12.2005	सीधी भर्ती
50.	श्री कुन्दन सिंह कोरंगा	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
51.	श्री मोहन चन्द्र पाठक	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती

52.	श्री विनोद कुमार	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
53.	श्री सोहन चन्द्र पन्त	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
54.	श्री याज्ञबल्क्य जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
55.	श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
56.	श्रीमती मीना भण्डारी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
57.	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
58.	श्री विनोद सिंह	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	08.10.2005	सीधी भर्ती
59.	श्री सुरेश चन्द्र	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	10.10.2005	सीधी भर्ती
60.	श्री प्रीतम सिंह रावत	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
61.	श्री चन्द्र शेखर पन्त	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
62.	श्री महेश सिंह रावत	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
63.	श्री दिनेश चन्द्र	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
64.	श्री बसन्त बल्लभ	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
65.	श्री बलवन्त सिंह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
66.	श्रीमती दीपलता भट्ट	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती

67.	श्रीमती वीणा भट्ट	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
68.	श्रीमती शशिबाला	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	13.10.2005	सीधी भर्ती
69.	श्रीमती हेमलता पाण्डेय	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
70.	श्रीमती अन्जू गुरूरानी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
71.	श्रीमती धनी देवी नेगी	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
72.	श्रीमती कल्पना	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
73.	श्री तारा दत्त	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
74.	श्री पूरन चन्द्र जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
75.	श्रीधरमपाल सिंह गडिया	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
76.	श्री आनन्द सिंह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
77.	श्रीमती बबीता साह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
78.	श्री शेर सिंह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
79.	श्री अजय कुमार	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
80.	श्रीमती शीला नेगी	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
81.	श्री शंकर लाल	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती

82.	श्री सोरण सिंह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	13.10.2005	सीधी भर्ती
83.	श्री चन्दन सिंह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
84.	श्रीमती हरकी रावत	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
85.	श्रीमती इन्दु काण्डपाल	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
86.	श्रीमती देवकी नंदन तिवारी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
87.	श्री दीप चन्द्र	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
88.	श्री रघुनाथ सिंह	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
89.	श्रीमती सरिता रावत	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	13.10.2005	सीधी भर्ती
90.	श्री गजेन्द्र कुमार	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	08.10.2005	सीधी भर्ती
91.	श्री मोहन सिंह खाती	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005.	सीधी भर्ती
92.	श्री कैलाश सिंह पांगती	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005.	सीधी भर्ती

93.	श्री चेतराम	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005.	सीधी भर्ती
94.	श्री रमेश लाल	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
95.	श्रीमती अनीता जोशी	प्र0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
96.	श्री भुवन चन्द्र	स0अ0	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती

Signed by
Ravinath Raman
Date: 19-02-2025 14:37:31

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:276991 XXIV-A-1/2025-72987/2024 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2.निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–104134/2024 दिनांक 08.08.2024, 98153/2024, दिनांक 22.07.2024 128061/2024 दिनांक 14.11.2024, 4167/नि.को./एन.पी.एस./2024 दिनांक 02.01.2025, 96731/2004 दिनांक 16.07.2004, 94582/2024 दिनांक 08.07.2024 एवं 118697/2024 दिनांक 03.10.2024 के क्रम में।

3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून (समस्त विकल्प पत्र मूल रूप में प्रेषित)।

5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर।

6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर।

7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 19-02-2025 15:39:00

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रार०शि०, अल्मोडा

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 16455-56 /2024–25 दिनांक : 31 जनवरी, 2025

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–270993/XXIV-A-1/2024–72987/2024 दिनांक 28 जनवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1483/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 16–07–2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद अल्मोडा के 35 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 35 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 जनवरी, 2025 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 35 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि मूल में।

भवदीय
31/1/2025
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 16455-56 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

31/1/25
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्या:–270993/XXIV-A-1/2024-72987/2024
देहरादूनः दिनांक :28 जनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर–3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2– उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1483/नि0को0/ एन0पी0एस0/2024 दिनांक 16.07.2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद अल्मोड़ा के निम्नलिखित 35 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना (OPS)' से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में योगदान तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
2.	श्री उमेश चन्द्र जोशी	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
3.	श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
4.	श्री गोपाल सिंह सुयाल	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
5.	श्री ओम प्रकाश बुडाथोकी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	21.10.2005	सीधी भर्ती
6.	श्री नवीन जोशी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
7.	श्री अर्जुन सिंह बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
8.	श्री नितिन जोशी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	14.10.2005	सीधी भर्ती
9.	श्री खजान चन्द्र	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
10.	श्री गणेश सिंह जंगपांगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
11.	श्री देवेन्द्र सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
12							

12.	श्री दीवान सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
13.	श्री प्रकाश चन्द्र लोहनी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.11.2005	सीधी भर्ती
14.	श्रीमती अल्पना जोशी	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
15.	श्री रवीन्द्र कुमार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
16.	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
17.	श्री हेम चन्द्र पंत	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	05.10.2005	सीधी भर्ती
18.	श्रीमती नीलम कोहली	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.10.2005	सीधी भर्ती
19.	श्री दीप चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
20.	श्री दिनेश वैष्णव	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
21.	श्री सुनील त्रिपाठी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
22.	श्री पूरन चन्द्र पाण्डेय	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
23.	श्री नन्दन सिंह नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	06.10.2005	सीधी भर्ती
24.	श्रीमती सविता साह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	14.12.2005	सीधी भर्ती
25.	श्री चन्द्रशेखर पन्त	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
26.	श्री दीपक सिंह शाही	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
27.	श्री भूपेन्द्र सिंह	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
28.	श्रीमती प्रीति जोशी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
29.	श्री प्रफुल्ल पन्त	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	22.12.2005	24.12.2005	सीधी भर्ती
30.	श्रीमती हिमांशु तिवारी	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	30.11.2005	सीधी भर्ती
31.	श्रीमती गीता	प्रधानाध्यापिका	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	19.10.2005	सीधी भर्ती
32.	श्री राघवेन्द्र साह	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती
33.	श्रीमती हेमा लटवाल	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	19.10.2005	सीधी भर्ती
34.	श्रीमती नमिता गुरूरानी	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	07.12.2005	सीधी भर्ती
35.	श्री रमेश चन्द्र	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	04.10.2005	सीधी भर्ती

Signed by
Ravinath Raman
Date: 28-01-2025 11:43:54

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः– / XXIV-A-1/2024-72987/2024 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–1483/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 16.07.2024 के कम में।

3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।(समस्त विकल्प पत्र मूल रूप में प्रेषित)
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जनपद अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 28-01-2025 12:30:48
(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रार०शि०, हरिद्वार

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 15256-57 /2024–25 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2024

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–261922/XXIV-A-1/2024–78636/2024 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद हरिद्वार के 53 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 53 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 53 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय
30/12/2024
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 15256-57 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

30/12/2024
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन

बेसिक शिक्षा अनुभाग–01

संख्याः– 261922/XXIV-A-1/2024-78636/2024

देहरादूनः दिनांक : 18 दिसम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर–3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2– उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद चमोली के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2789/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 10.10.2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद हरिद्वार के निम्नलिखित 53 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना (OPS)' से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में योगदान तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्रीमती गिजाला प्रवीन	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
2.	मो0 जाकिर हुसैन	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	30.08.2008	सीधी भर्ती
3.	मिर्जा वसी हैदर	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	24.02.2006	सीधी भर्ती
4.	मासूम अली अन्सारी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
5.	मो0 इकबाल	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
6.	फरहत अली	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
7.	फजलूर्रहमान	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
8.	आलमगीर	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	30.08.2008	सीधी भर्ती
9.	सलीम अहमद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
10.	नजमुल हसन	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	25.02.2006	सीधी भर्ती
11.	शफक्कत अली	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
12.	मु0 इरफान	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती

13.	मौ0 इकराम	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	30.08.2008	सीधी भर्ती
14.	मेहरूनिशा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
15.	मौ0 सुलेमान	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
16.	मौ0 आरिफ	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
17.	अब्दुल रहमान	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	01.09.2008	सीधी भर्ती
18.	खलील अहमद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
19.	मु0 मुस्लिम	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
20.	नसीर अहमद	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
21.	श्रीमती जाहिदा बानो	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
22.	श्री नसरूद्दीन	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
23.	मौ0 सलीम	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
24.	श्री तमरेज आलम	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	21.02.2006	सीधी भर्ती
25.	मौ0 सलीम	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	24.02.2006	सीधी भर्ती
26.	मौ0 अहसान	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	24.02.2006	सीधी भर्ती
27.	मु0 अनसार अली खाँ	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
28.	श्री दाऊद अली खाँ	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
29.	श्री महबूब आलम	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
30.	श्री नसीम अहमद	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
31.	श्रीमती फूल शहजादी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
32.	श्री खुरशीद अहमद	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	25.02.2006	सीधी भर्ती
33.	मौ0 फुरकान	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	04.07.2013	06.07.2013	सीधी भर्ती
34.	श्रीमती शाईस्ता प्रवीन	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	07.03.2006	सीधी भर्ती
35.	मौ0 इश्तियाक अंसारी	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
36.	मोहम्मद सादिक	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
37.	मौ0 जुबैर आलम	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
38.	श्री शेरअली	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
39.	श्रीमती मेहताब जहां	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	28.02.2006	सीधी भर्ती
40.	श्रीमती फाकेहा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
41.	श्रीमती फरीदा	सहायक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	24.02.2006	सीधी भर्ती

	बानो	अध्यापक					
42.	मौ0 इकबाल	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
43.	मौ0 इकराम	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
44.	श्री अहसान अहमद	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	24.02.2006	सीधी भर्ती
45.	श्री रियासत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती
46.	मौहब्बत अली	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	28.08.2008	30.08.2008	सीधी भर्ती
47.	श्रीमती शमा प्रवीन	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	24.02.2006	सीधी भर्ती
48.	मौ0 सुलेमान	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	22.02.2006	सीधी भर्ती
49.	श्री तौहीद अली खां	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	03.03.2006	सीधी भर्ती
50.	श्री शकील अहमद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
51.	मौ0 इमरान	प्रधानाध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	23.02.2006	सीधी भर्ती
52.	श्रीमती वाजिदा तबस्सुम	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	11.02.2006	24.02.2006	सीधी भर्ती
53.	श्री शकील अहमद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	09.02.2004	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती

Signed by
Ravinath Raman
Date: 17-12-2024 22:41:55 (रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः—261922/ **XXIV-A-1/2024-78636/2024** तद्दिनांकित

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या—2789/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 10.10.2024 के कम में।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।(समस्त विकल्प पत्र मूलरूप में प्रेषित)
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6. जिला शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक) जनपद हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 18-12-2024 10:49:27
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा०शि०, देहरादून

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 15222-23 /2024–25 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2024

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–263263/XXIV-A-1/2024–78636/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद देहरादून के 02 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/ प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले 02 कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 02 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तदनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 15222-23 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

769
24-12-24

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्या:–263263/XXIV-A-1/2024-78636/2024
देहरादूनः दिनांक : 23 दिसम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर–3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2– उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद देहरादून के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–3918/नि0को0/एन0पी0एस0/ 2024 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद देहरादून के निम्नलिखित 02 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना (OPS)' से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में योगदान तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री अब्दुर्रब	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	19.07.2006	सीधी भर्ती
2.	श्री सुरेन्द्र दत्त	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	15.09.2005	29.09.2005	09.11.2005	सीधी भर्ती

Signed by
Ravinath Raman
Date: 23-12-2024 15:03:40

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:–263263/XXIV-A-1/2024-78636/2024 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–3918/नि0को0/एन0पी0एस0/2024, दिनांक 16.12.2024 के क्रम में।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून (समस्त विकल्प पत्र मूल रूप में प्रेषित)
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जनपद देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 23-12-2024 15:51:55
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रार०शि०, चमोली

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 14311-13 /2024–25 दिनांक : 03 दिसम्बर, 2024

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–256688/XXIV-A-1/2024–78636/2024 दिनांक 28 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद चमोली के 16 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 नवम्बर, 2024 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 16 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय
03/12/2024

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 14311-13 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

03/12/2024

(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

Education Department

1/256688/2024

694
28-11-24

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्याः– 256688 /XXIV-A-1/2024-78636/2024
देहरादूनः दिनांक : 22 नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर–3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्तिक लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2– उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद चमोली के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1482/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 16.07.2024, पत्र संख्या–3267/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 08.11.2024 एवं पत्र संख्या–3354/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 16.11.2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद चमोली के निम्नलिखित 16 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना (OPS)' से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में योगदान तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री मोहम्मद गुलसिताब	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	24.07.2006	सीधी भर्ती
2.	श्री तौफीक अहमद	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	20.07.2006	सीधी भर्ती
3.	श्रीमती सुरैया	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	21.07.2006	सीधी भर्ती
4.	कु0 निक्की आलम	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	21.07.2006	सीधी भर्ती
5.	श्रीमती खुशनुदा	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	21.07.2006	सीधी भर्ती
6.	श्रीमती रिहाना	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	25.07.2006	सीधी भर्ती

7.	श्रीमती साहिरा बानो	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	21.07.2006	सीधी भर्ती
8.	श्रीमतीरूखसार बानो	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	21.07.2006	सीधी भर्ती
9.	श्रीमती समरीन	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	19.07.2006	सीधी भर्ती
10.	श्री अशरफ अहमद	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	20.07.2006	सीधी भर्ती
11.	श्रीमती नसरीन	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	21.07.2006	सीधी भर्ती
12.	श्री नौशाद आलम	स0अ0, उर्दू	शिक्षा विभाग	16.09.2005	17.07.2006	21.07.2006	सीधी भर्ती
13.	श्री रमेश चन्द्र	स0अ0	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
14.	श्रीमती बिमला	स0अ0	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
15.	श्री हीरा सिंह	स0अ0	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
16.	श्री खडक सिंह	स0अ0	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती

Signed by
Ravinath Raman
Date: 27-11-2024 19:10:50 (रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः– / XXIV-A-1/2024-78636/2024 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रों के क्र में।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून। (समस्त विकल्प पत्र मूल सह
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली।
6. जिला शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक) जनपद चमोली।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Madan Mohan Sem
(एम0एम0 सेमवाल)
Date: 28-11-2024 1(
अपर सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रार०शि०, चमोली

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/12644-46/2024–25 दिनांक : 23 अक्टूबर, 2024

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–247815/XXIV-A-1/2024–78636/2024 दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद चमोली के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 99 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय
23/10/2024
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/12644-46/2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

23/10/24
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

550
22-10-24

DD सेवा 2

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्या:–247815/XXIV-A-1/2024-78636/2024
देहरादून: दिनांक : 18 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर–3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2– उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद चमोली के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1500/नि0को0/ एन0पी0एस0/2024 दिनांक 18.07.2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद चमोली के निम्नलिखित 99 कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना' (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में योगदान तिथि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री विवेक सिंह नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
2.	श्री प्रेमसिंह फर्स्वाण	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
3.	श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
4.	श्री दिनेश चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
5.	श्री अशोक कुमार हटवाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.12.2005	सीधी भर्ती
6.	श्री संजय कुमार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
7.	श्री आदेश कुमार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
8.	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
9.	श्री प्रकाश चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
10.	श्रीमती रेणुका रावत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
11.	श्री गम्भीर सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती

12.	श्री मुकेश सिंह बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
13.	श्रीमती चन्द्रकला पुरोहित	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	21.11.2005	सीधी भर्ती
14.	श्री बृजेन्द्र सिंह राणा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
15.	श्री गजपाल सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
16.	श्री कैलाश प्रसाद पन्त	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
17.	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
18.	श्री जगदीश चन्द्र बण्डवाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	21.11.2005	सीधी भर्ती
19.	श्रीमती सुनीता पाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
20.	श्री मुकेश सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
21.	श्री चन्द्रप्रकाश सिंह पंवार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
22.	श्री सुभाष चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
23.	श्रीमती बसन्ती राणा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
24.	श्रीमती लक्ष्मी रावत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
25.	श्री यशपाल सिंह पंवार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
26.	श्री टीकाप्रसाद सेमवाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
27.	श्री देवी प्रसाद बेंजवाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005..	17.11.2005	सीधी भर्ती
28.	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
29.	श्री मोहन प्रसाद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
30.	श्री दर्शन लाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
31.	श्री भगवती प्रसाद पुरोहित	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
32.	श्रीमती सुरेशी नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
33.	श्री गंगा सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
34.	श्री राम सिंह बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
35.	श्री महाजन सिंह बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	14.11.2005	सीधी भर्ती
36.	श्री मंगल सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
37.	श्री दलवीर सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
38.	श्री जगत सिंह	सहायक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती

3

		अध्यापक					
39.	श्रीमती समता उनियाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
40.	श्री दर्शन सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
41.	श्री प्रकाश चन्द्र सती	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	21.11.2005	सीधी भर्ती
42.	श्री सतीश प्रसाद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
43.	श्री मेहरबान सिंह चौधरी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
44.	श्री बृजेन्द्र सिंह कठैत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
45.	श्री भरत सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
46.	श्री बीरेन्द्र सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
47.	श्री देवेन्द्र प्रसाद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
48.	श्री प्रमेन्द्र सिंह रावत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
49.	श्री जसवन्त सिंह कण्डारी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
50.	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
51.	श्री शिव प्रकाश थपलियाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
52.	श्री अरूण कुमार डिमरी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
53.	श्रीमती अनीता नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
54.	श्री सुबोध प्रसाद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
55.	श्री दिगम्बर सिंह नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.12.2005	सीधी भर्ती
56.	श्रीमती मीना मिंगवाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.12.2005	सीधी भर्ती
57.	श्री विनोद कुमार देवली	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
58.	श्रीमती शकुन्तला नैनवाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
59.	श्री यदुवीर सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
60.	श्री बसन्त कुमार रावत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
61.	श्री चन्द्रबल्लभ देवली	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
62.	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
63.	श्री प्रताप लाल मुनियाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
64.	श्रीमती सविता मनोड़ी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	21.11.2005	सीधी भर्ती

65.	श्रीमती इन्दु सती	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
66.	श्रीमती राजेश्वरी रावत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
67.	श्री संजय किशोर	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
68.	श्री खुशहाल सिंह रावत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.12.2005	सीधी भर्ती
69.	श्री आलोक नौटियाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
70.	श्री दिनेश सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
71.	श्री विजय मोहन	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
72.	श्री विकास चन्द्र	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
73.	श्री अनुसूया प्रसाद थपलियाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
74.	श्री हीरा सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
75.	श्री कुलदीप सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
76.	श्री वीरेन्द्र लाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
77.	श्री दिनेश प्रसाद	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
78.	श्री भगत सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
79.	श्रीमती पदमा रावत	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
80.	श्री राजेन्द्र सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
81.	श्री भरत सिंह चौहान	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
82.	श्री कर्ण सिंह नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
83.	श्री नन्दराम बहुगुणा	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
84.	श्रीमती प्रभा गौड	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
85.	श्री चन्दर सिंह नेगी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
86.	श्री प्रेम लाल तोपवाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	21.11.2005	सीधी भर्ती
87.	श्री हरीश चन्द्र सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
88.	श्री राम सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	16.11.2005	सीधी भर्ती
89.	श्री प्रकाश सिंह बिष्ट	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
90.	श्री कुंवर सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	21.11.2005	सीधी भर्ती

91.	श्री दिग्पाल सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
92.	श्री लक्ष्मी प्रसाद सती	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
93.	श्री चन्द्रमणी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	17.11.2005	सीधी भर्ती
94.	श्री दिग्पाल राम	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
95.	श्री महेशानन्द	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	25.11.2005	सीधी भर्ती
96.	श्री सुरेन्द्र सिंह	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	23.11.2005	सीधी भर्ती
97.	श्री सुशील कुमार	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती
98.	श्री घनश्याम तिवारी	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	19.11.2005	सीधी भर्ती
99.	श्रीमती प्रमिला थपलियाल	सहायक अध्यापक	शिक्षा विभाग	24.09.2005	10.11.2005	22.11.2005	सीधी भर्ती

Signed by
Ravinath Raman
Date: 18-10-2024 13:57:31

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:-247815/ XXIV-A-1/2024-78636/2024 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–1600/नि0को0/एन0पी0एस0/2024 दिनांक 18.07.2024 के कम में।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून। (समस्त विकल्प पत्र मूलरूप में प्रेषित)
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) जनपद चमोली।
7. गार्ड फाइल।

Signed byआज्ञा से,
Bhupendra Singh Bora
Date: 18-10-2024 16:08:59
(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा०शि०, पिथौरागढ़

पत्रांक : प्रा०शि०–दो(2)/707(IV)–2024/ 11665-67 /2024–25 दिनांक : 28 सितम्बर, 2024

विषय : वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 07–11–2023 के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–242615/XXIV-A-1/2024–72987/2024 दिनांक 26 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07–11–2023 के प्रस्तर–3 में निर्धारित प्राविधान के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड कौलागढ़ को निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रकरण अपने स्तर से प्रेषित करें।

अतः शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 सितम्बर, 2024 की छायाप्रति एवं शासन से प्राप्त 110 कार्मिकों के विकल्प पत्र की मूल प्रति संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तद्नुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय
28/9/2024
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ०सं० : प्रा०शि०–दो(2)/163–2017/ 11665-67 /2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

28/9/2024
(रामकृष्ण उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

D.D सेवा-2

457/27.9.24

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्या:–242615/XXIV-A-1/2024-72987/2024
देहरादून: दिनांक : 26 सितम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर–3 में प्रावधान है कि "ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए 'नवीन पेंशन योजना' की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर 'नवीन पेंशन योजना' के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को 'उत्तरप्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018' एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा 'विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।"

2– उक्त प्रावधान के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त विकल्पों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के ई पत्र संख्या–68209/2024 दिनांक 12.03.2024 द्वारा प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त जनपद पिथौरागढ़ के निम्नलिखित कार्मिकों (सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक, प्रारम्भिक शिक्षा) को 'पुरानी पेंशन योजना (OPS)' से आच्छादित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पद नाम	विज्ञप्ति तिथि	नियुक्ति तिथि	विभाग में योगदान की तिथि	विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	त्रिलोचन जोशी	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10-10-2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
2.	अर्जुन सिंह	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13-10-2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
3.	हिमांशु तिवारी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13-10-2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
4.	पुष्कर चन्द	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10-10-2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

5.	हिमांशु जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
6.	दिनेश चन्द्र पन्त	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10-10-2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
7.	पुष्पा मेहता	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
8.	रीता लाम्बा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13-10-2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
9.	गीता भट्ट	प्र0 अ0	21.09.2005	22.11.2005	29-03-2006	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
10.	उपेन्द्र वल्लभ जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
11.	भूपाल चन्द्र ठाकुर	प्र0 अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
12.	पूरन लाल	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
13.	ममता उपाध्याय	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	20.03.2006	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
14.	हरीश चन्द्र पन्त	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
15.	चंचल सिंह वल्दिया	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
16.	जितेन्द्र सिंह वल्दिया	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
17.	गोविन्द बल्लभ कापड़ी	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

18.	ललित मोहन बसेड़ा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
19.	योगेश्वरी जंगपांगी	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
20.	भुवन चन्द्र जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
21.	राजेश चन्द्र कापड़ी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	29.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
22.	मदन मोहन शाही	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
23.	प्रमोद कुमार	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
24.	दिनेश चन्द्र पन्त	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
25.	महेन्द्र कुमार	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	11 10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
26.	सोना रौतेला	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
27.	सरिता खर्कवाल	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
28	चन्द्रशेखर जोशी	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	08.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
29.	योगेश पाण्डेय	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
30.	कैलाश चन्द्र जोशी	प्र0अ0	21.09.2005	22.11.2005	25.11.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

31.	प्रेमबल्लभ	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
32.	खुशाल सिंह	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
33.	धर्मेन्द्र लाल टम्टा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
34.	कैलाश सिंह	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
35.	जया बोहरा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
36.	चन्द्र शेखर जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
37.	रमेश चन्द्र उपाध्याय	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
38.	भुवन चन्द्र उपाध्याय	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
39.	जगदीश चन्द्र पाण्डेय	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
40	डम्बर सिंह	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
41.	अंशुमन कुमार	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
42.	कर्ण बहादुर कार्की	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
43.	चन्द्र बल्लभ जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

44.	बलवन्त सिंह	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
45.	चन्द्र बल्लभ जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
46.	कृष्ण कुमार	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
47.	पूरन चन्द्र जोशी	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
48.	पंकज कुमार पंत	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
49.	रमेश चन्द्र पंत	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
50.	कांता पाण्डेय	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
51.	मुन्नी जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
52.	हेम चन्द्र	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	14.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
53.	रेखा गंगोला	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	15.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
54.	सुरेश चन्द्र पंत	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
55.	कौस्तुबानन्द पाठक	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
56.	ईश्वर सिंह डसीला	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	19.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

File No. BES1-MISC/25.1/14/2024-XXIV-A-1-Basic Education Department (Computer No. 72987)
Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 26/09/2024 11:57 AM

57.	राजेन्द्र कुमार	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
58.	बिरेन्द्र प्रसाद	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
59.	हीरा सिंह बम	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
60.	विजय सिंह बनग्याल	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
61.	जसोदा रौतेला	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
62.	रेणुका फिरमाल	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
63.	दिलीप सिंह परिहार	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	18.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
64.	जगदीश सिंह बृजवाल	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
65.	पूनम रावत	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
66.	पुष्कर राम	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
67.	बसन्ती कोरंगा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
68.	दिनेश चन्द्र	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
69.	राम सिंह कोरंगा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

70.	हर्ष बहादुर पाल	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
71.	धीरेन्द्र कुमार पन्त	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
72.	गिरीश चन्द्र	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
73.	त्रिभुवन कुमार	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
74.	गोकुलानन्द द्विवेदी	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
75.	हरीश चन्द्र	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	14.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
76.	हरिकृष्ण दत्त चौधरी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
77.	ललित मोहन	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
78.	प्रमोद कुमार जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
79.	विनोद कुमार	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
80	ललित प्रसाद भट्ट	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
81	लीलाम्बर	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
82.	गणेश चन्द्र जोशी	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	06.12.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

83.	गोपाल सिंह मेहता	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
84.	कमलेन्द्र सिंह	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
85.	पुष्कर सिंह	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	14.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
86.	महेन्द्र कुमार	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	14.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
87.	केशर लाल	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
88.	शोभा बनकोटी	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
89.	कुमुद रंजन पंत	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	19.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
90.	नरेन्द्र सिंह बोहरा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	14.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
91.	हेमन्त कुमार डसीला	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
92.	महिपाल सिंह मेहरा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	14.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
93.	पुष्पा पन्त	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	14.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
94.	कमलेश कुमार पन्त	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
95.	राम चरण पण्डा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

96.	पूरन चन्द्र	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
97.	ग्रीश चन्द्र	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
98.	बबीता महरा	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	15.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
99.	निर्मला आर्या	प्र0अ0	21.09.2005	07.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
100.	हरीश सिंह कन्याल	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
101.	राजेन्द्र सिंह	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
102.	बिरेन्द्र सिंह मेहता	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
103.	सरिता बिष्ट	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
104.	भुवन चन्द्र उपाध्याय	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	15.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
105.	सरोजनी पांगती	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
106.	राजेन्द्र लाल	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
107.	जीवन सिंह सामन्त	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
108.	अंजू मल	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

File No. BESI-MISC/25.I/14/2024-XXIV-A-1-Basic Education Department (Computer No. 72987)
Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 26/05/2024 11:57 AM

109.	अनीता जोशी	प्र0अ0	21.09.2005	7.10.2005	13.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ
110.	मनोरमा भट्ट	स0अ0	21.09.2005	7.10.2005	10.10.2005	अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पिथौरागढ

Signed by
Ravinath Raman
Date: 25-09-2024 13:15:51

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:-242615 / XXIV-A-1/2024-72987/2024 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके ई पत्र संख्या 68209/2024 दिनांक 12.03.2024 के कम में।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून। (समस्त विकल्प पत्र मूलरूप में प्रेषित)
5. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. जिला शिक्षा अधिकारी(प्राथमिक) जनपद पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by
Bhupendra Singh Bora
Date: 26-09-2024 11:46:49
(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

File No. BES1-MISC/25.1/14/2024-XXIV-A-1-Basic Education Department (Computer No. 72987)
Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 26/09/2024 11:57 AM

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

1. अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

2. अपर निदेशक (प्रा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

पत्रांक : प्रा०शि०से०–दो(05)/ 1450-53 /864/2025–26 दिनांक: 07 मई, 2025

विषय : प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक : सेवा–2/प्रा०शि०/601/2025–26 दिनांक 05 मई, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–01) के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 294712/XXIV-A-1/2025–62330/2023 दिनांक 05 मई, 2025 द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 05 सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु प्रदान की गयी सहमति के क्रम में शासनादेश में उल्लिखित निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–01) के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 294712/XXIV-A-1/2025–62330/2023 दिनांक 05 मई, 2025 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 26.03.2025 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–289927/2025, दिनांक 15.04.2025 के क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों को स्थानान्तरित किये जाने की सहमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :–

(1) सम्बन्धित कार्मिक के राज्य मेडिकल बोर्ड एवं संगत प्रमाण–पत्रों के परीक्षणोपरान्त रिक्ति की उपलब्धता होने पर प्रतिस्थानी की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित कर ली जाय।
(2) स्थानान्तरित शिक्षकों को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।
(3) उपरोक्त स्थानान्तरित किये जा रहे शिक्षकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
(4) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।
(5) उपलब्ध कराये गये प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
(6) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–289927, दिनांक 15 अप्रैल, 2025 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम एवं वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण समिति की संस्तुति/निर्णय
5	बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत श्री सूर्यप्रकाश बिजल्वाण, प्रधानाध्यापक, सम्बद्ध प्रा0शि0 बंजारावाला, देहरादून का उनकी पत्नी के कैंसर से पीड़ित होने के कारण स्थानान्तरण/समायोजन का प्रस्ताव।	समिति द्वारा उक्त तालिका के क्रमांक–5 पर अंकित स्वयं/पति–पत्नी की गम्भीर बीमारी, स्वयं/पति–पत्नी व पाल्य की दिव्यांगता, तलाकशुदा, पति की भारतीय सेना में सीमा पर तैनाती तथा दुर्गम से दुर्गम की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों का स्थानान्तरण/संवर्ग परिवर्तन किये जाने हेतु इस शर्त के साथ संस्तुति की गई है कि सम्बन्धित कार्मिक के राज्य
	श्री दीपेश मित्तल, सहायक अध्यापक, प्रा0वि0 नैणी, बागेश्वर का पिता की विकलांगता के आधार पर प्रा0वि0 सीतारामपुर, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर में स्थानान्तरण का प्रस्ताव।	
	श्री बिपिन खण्डूड़ी, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुपड़ा, नौगांव, जनपद उत्तरकाशी का दुर्गम से	

	दुर्गम आधार पर जनपद देहरादून के किसी दुर्गम विद्यालय में स्थानान्तरण का प्रस्ताव (दुर्गम से दुर्गम स्थल एवं संवर्ग/जनपद परिवर्तन)।	मेडिकल बोर्ड एवं संगत प्रमाण–पत्रों के परीक्षणोपरान्त रिक्ति की उपलब्धता तथा प्रतिस्थानी की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित कर ली जायेगी।
	श्रीमती नाजनीन खान, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 ऐरोली, गैरसैंण, चमोली का कैंसर से पीड़ित होने एवं नियुक्ति तिथि से दुर्गम क्षेत्र में 20 वर्ष की सेवा किये जाने के दृष्टिगत रा0प्रा0वि0 भारूवाला, देहरादून में स्थानान्तरण का प्रस्ताव (दुर्गम से सुगम स्थल एवं संवर्ग/जनपद परिवर्तन)।	
	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 दनाड़ा, देवप्रयाग, टिहरी का पत्नी के कैंसर से पीड़ित होने के कारण जनपद हरिद्वार में स्थानान्तरण किये जाने का प्रस्ताव।	

संवर्ग परिवर्तन की सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार के लिए प्रदान की जाती है, जिसकी अंकना सम्बन्धित की सेवा अभिलेखों में अनिवार्य रूप से अंकित की जाय। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–17 उपधारा–2 (ड.) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकायें सम्बन्धित जनपद के जनपदीय संवर्ग में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों से कनिष्ठ हो जायेंगे। यदि उनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत अभिलेखों में कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित अध्यापक का स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। साथ ही रिक्ति की सूचना प्राप्त किए जाने पर ही सम्बन्धित अध्यापकों को स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। स्थानान्तरण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अतः उपरोक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 मई, 2025 एवं शासनादेश संख्या–289927/2025, दिनांक 15.04.2025 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप एवं शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त आदेश के विपरीत यदि स्थानान्तरण आदेश जारी किया जाता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ0सं0/प्रा०शि०से०–दो(05)/ 1450-53 /864/2025–26 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कार्यालय गार्ड फाईल।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–01
संख्याः– 294712 / XXIV-A-1/2025-62330/2023
देहरादूनः दिनांक : 05 अप्रैल, मई 2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 26.03.2025 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–289927 / 2025, दिनांक 15.04.2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों / प्रधानाध्यापकों हेतु निम्नवत् संस्तुति की गयी है:–

क्र0 सं0	नाम / पदनाम एवं वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण समिति की संस्तुति / निर्णय
5.	बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत श्री सूर्यप्रकाश बिजल्वाण, प्रधानाध्यापक, सम्बद्ध प्रा0वि0, बंजारावाला, देहरादून का उनकी पत्नी के कैंसर से पीड़ित होने के कारण स्थानान्तरण / समायोजन का प्रस्ताव।	समिति द्वारा उक्त तालिका के क्रमांक–5 पर अंकित स्वयं / पति–पत्नी की गम्भीर बीमारी, स्वयं / पति–पत्नी व पाल्य की दिव्यांगता, तलाकशुदा, पति की भारतीय सेना में सीमा पर तैनाती तथा दुर्गम से दुर्गम की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों का स्थानान्तरण / संवर्ग परिवर्तन किये जाने हेतु इस शर्त के साथ संस्तुति की गई है कि संबंधित कार्मिक के राज्य मेडिकल बोर्ड एवं संगत प्रमाण–पत्रों के परीक्षणोपरान्त रिक्ति की उपलब्धता तथा प्रतिस्थानी की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित कर ली जायेगी।
	श्री दीपेश मित्तल, सहायक अध्यापक, प्रा0वि0 नैणी, बागेश्वर का पिता की विकलांगता के आधार पर प्रा0वि0 सीतारामपुर, काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर में स्थानान्तरण का प्रस्ताव।	
	श्री बिपिन खण्डूड़ी, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुपड़ा, नौगांव, जनपद उत्तरकाशी का दुर्गम से दुर्गम आधार पर जनपद देहरादून के किसी दुर्गम विद्यालय में स्थानान्तरण का प्रस्ताव (दुर्गम से दुर्गम स्थल एवं संवर्ग / जनपद परिवर्तन)।	
	श्रीमती नाजनीन खान, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 ऐरोली, गैरसैण, चमोली का कैंसर से पीड़ित होने एवं नियुक्ति तिथि से दुर्गम क्षेत्र में 20 वर्ष की सेवा किये जाने के दृष्टिगत रा0प्रा0वि0 भारूवाला, देहरादून में स्थानान्तरण का प्रस्ताव (दुर्गम से सुगम स्थल एवं संवर्ग / जनपद परिवर्तन)।	
	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, सहायक अध्यापक, रा0प्रा0वि0 दनाडा, देवप्रयाग, टिहरी का पत्नी के कैंसर से पीड़ित होने के कारण जनपद हरिद्वार में स्थानान्तरण किये जाने का प्रस्ताव।	

2– अतएव उक्त संस्तुति के क्रम में उपरोक्त तालिका में अंकित शिक्षकों को स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा सहमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(1) संबंधित कार्मिक के राज्य मेडिकल बोर्ड एवं संगत प्रमाण–पत्रों के परीक्षणोपरान्त रिक्ति की उपलब्धता होने पर प्रतिस्थानी की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित कर ली जाय।

(2) स्थानान्तरित शिक्षकों को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।

(3) उपरोक्त स्थानान्तरित किये जा रहे शिक्षकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(4) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।

(5) उपलब्ध कराये गये प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(6) इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–289927, दिनांक 15 अप्रैल, 2025 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 03-05-2025
13:04:07

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:– 294712 /XXIV-A-1/2025-62330/2023 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त निर्देशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 05-05-2025
10:36:55

(एम०एम० सेमवाल)
अपर सचिव।

File No. BES2-8/BE6238/2024-XXIV-A-2/Basic Education Department (Computer No. 69702)
/237544/2024
/2371_/2024

संख्या: 410 /XXI V-A-2/2024–25/2007 टी.सी. (E-69702)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः05 सितम्बर, 2024

विषयः–पी0एम0 पोषण योजना के अंतर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की न्यून दरों की वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0प0का0/888/पी0एम0पोषण/02/2023–24 दिनांक 08 फरवरी, 2024 एवं संख्या–रा0प0का0/210/पी0एम0पोषण/02/2024–25 दिनांक 06 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पी0एम0 पोषण योजना के अंतर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की न्यून दरों की वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.I-3/2021-DESK(MDM)-Part(2) दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा कुकिंग कॉस्ट की प्राथमिक स्तर पर रू0 5.45 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर रू0 8.17 निर्धारित की गई है।

3. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0 पोषण योजना के अंतर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की दरों को नियमानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	स्तर	वर्तमान निर्धारित दर	संशोधित दर
1.	प्राथमिक	5.45	6.23
2.	उच्च प्राथमिक	8.17	9.34

4. उक्त पी0एम0 पोषण योजना के अंतर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की न्यून दरों की वृद्धि हेतु उक्त नवीन प्रस्तावित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

5. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–236808/2024 दिनांक 03.09.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 05-09-2024 10:50:58
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 05/09/2024 05:19 PM

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण
(पी0एम0 पोषण)
उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून पिन–248008
E-mail : pmposhan.uk@gmail.com
दूरभाष 0135–2781944 टॉल फ्री 1800 180 1132

PM POSHAN

सेवा में,

समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– रा0प0का0/273 /पी0एम0पोषण–02/2024–25 दिनांक 10सितम्बर 2024

विषयः– प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) उत्तराखण्ड, के अन्तर्गत पोषक मानकों के सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की न्यून दरों की वृद्धि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत करना है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) उत्तराखण्ड के अन्तर्गत शासनादेश सं0 410/XXIV(1)-A-2/2024-25/2007 टी.सी.(E-69702) दिनांक 05 सितम्बर 2024 के अनुक्रम में शासन द्वारा पोषक मानकों में सुधार हेतु मैटेरियल कॉस्ट की न्यून दरों की वृद्धि की गयी है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	विद्यालय स्तर	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर		योग	राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत राज्यांश के रूप में स्वीकृत दर	कुल दर
		केन्द्रांश (90%)	राज्यांश (10%)			
1	प्राथमिक स्तर	4.91	0.54	5.45	0.78	6.23
2	उच्च प्राथमिक स्तर	7.35	0.82	8.17	1.17	9.34

अतः जनपदों के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, से अपेक्षा है कि राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत के रूप में बढाई गयी मैटेरियल कॉस्ट की दरों को अपने स्तर से विद्यालय स्तर तक शासनादेश की तिथि से लागू किये जाने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें, साथ ही अपने स्तर पर राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत के रूप में बढाई गयी मैटेरियल कॉस्ट की धनराशि का अलग से आंकलन कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

भवदीय
10/09/24
(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठांकन संख्याः– रा0प0का0/273–276 पी0एम0पोषण–02/2024–25 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

2:–निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

2:–समस्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड

10/9/24
(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून

F. No.1-3/2021-Desk(MDM)-Part.2
Government of India
Ministry of Education
Department of School Education & Literacy
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 21st April, 2025

To,

The Principal Secretaries / Secretaries (Education) / Nodal Department of all the States and UTs for PM POSHAN Scheme

Subject: Revision of Material Cost w.e.f. 01st May, 2025 under PMPOSHAN Scheme -regarding.

Respected Sir / Madam,

I am directed to inform that it has been decided with the approval of the competent authority to increase the Material Cost to Rs 6.78 for Bal Vatika and Primary and Rs 10.17 for upper primary classes under the PM POSHAN Scheme w.e.f. 01st May, 2025. The Material Cost will be shared between the Centre and the States as per the existing funding pattern of 90:10 for the States of North Eastern Region (NER) and 2 Himalayan States & UT of J&K, 100% for Union Territories without Legislature and 60:40 for other States as well as 2 Union Territories with Legislature (Delhi and Puducherry). *The revised rates of Material Cost admissible w.e.f. 01st May, 2025 for Bal Vatika, Primary and Upper Primary classes would be as under:-*

Classes	Revised Material Cost per child per day	Centre-State sharing				
		Non-NER States and UTs with Legislature (Delhi & Puducherry) (60:40)		NER States and 2 Himalayan States and UT of J&K (90:10)		UTs without Legislature (100)
		Centre	State	Centre	State	Centre
Bal Vatika & Primary	**6.78**	4.07	2.71	6.10	0.68	6.78
Upper Primary	**10.17**	6.10	4.07	9.15	1.02	10.17

Contd...2/-

2. The above Material Cost rates indicate the minimum mandatory contribution by the State Governments/UT Administrations. However, States / UTs may also contribute more than their prescribed share, as some States/UTs have been contributing more than their minimum mandatory share from their own resources for providing meals with augmented nutrition under the PM POSHAN Scheme.

3. You are requested to disseminate the above increase in the Material Cost to all concerned and the field functionaries up to school/cooking agency level to ensure prompt implementation of the revised Material Cost with effect from 1st May, 2025.

4. This issues with the approval of Hon'ble SM, MoE and concurrence of the Ministry of Finance, Deptt. Of Expenditure vide OM. No 13(02)/PF-II/2021 dated 08th April,2025 (copy enclosed).

Yours sincerely

(J. B. Nath)
Under Secretary (PMP-4&5)

Copy to:

Commissioner/ Director (PM POSHAN) of all the States and UTs.

सं0 375 / XXIV-A-2/24-25 / 2007 / Vol-1(E-51835)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 06 अगस्त, 2024

विषयः मुख्यमंत्री अमृत आँचल योजनान्तर्गत पी0एम0 योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-रा0प0का0 / 137 / पी0एम0पोषण-60 / 2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री अमृत आँचल" योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु **रू0 6,00,59,000/-(रू0 छः करोड़ उनसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
3. योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय-समय पर जारी किये गये समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षक यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या मद आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हों।
5. स्वीकृत धनराशि समय से उपयोग करने हेतु संबंधित आहरण-वितरण अधिकारियों/संबंधितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जायेगी। आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।
7. वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
9. व्यय में मितव्ययता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों /आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

11. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

12. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

3— उपरोक्त स्वीकृत/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/228539/2024 दिनांक 29.07.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक: (आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,
Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 06-08-2024 10:49:00
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

<u>सं0— ()/XXIV-A-2/24–25/2007/Vol-1(E-31850) तद्‌दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 06-08-2024 12:49:31
(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 06/08/2024 05:25 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

Secretary-Secretary, Secondery Education(S043)

HOD-Director Elementary Education(4514)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या -011

आवंटन आई डी-S24080110010

आवंटन पत्र दिनांक-07-AUG-2024

लेखा शीर्षक

2202-सामान्य शिक्षा

01-प्रारम्भिक शिक्षा

112-विद्यालयों में मध्याहन भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

02-मध्याहन भोजन के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी / मानदेय

00---

Voted

2	2	0	2	0	1	1	1	2	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
42-अन्य विभागीय व्यय	207668100	60059000	0	267727100
योग	207668100	60059000	0	267727100

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.6,00,59,000 (Rupees Six Crores Fifty Nine Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

File No. FIN1-8/FIN/2024-XXVII(1)-Finance Department (Computer No. 67432)
I/83649/2024 Finance Section-I
83649/2024

प्रेषक,

डॉ. वी. षणमुगम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक : 19 जनवरी 2024

विषयः सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि का मिलान, अन्तिम भुगतान की प्रकिया हेतु ई–प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 48956/24(04) दिनांक 19.12.2023 तथा पत्र संख्या 52486/24(04) दिनांक 05.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) का रखरखाव, आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर अग्रिमों का भुगतान, आंकड़ों का मिलान व अन्तिम भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही संगत सामान्य भविष्य निधि नियमावली व समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार की जा रही है। महालेखाकार कार्यालय के स्तर पर सा.भ.नि. के आंकड़ो का मिलान व अन्तिम भुगतान हेतु कार्यवाही के सम्बध में उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–01 के शासनादेश सं.–82/XXVII(1)/2009, दिनांक 13.02.2009, शासनादेश सं.–300/XXVII(1)/2010, दिनांक 03.06.2010, शासनादेश सं.–09/XXVII(28)/2014, दिनांक 21.04.2014 के द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी है। तत्क्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सा.भ.नि.के मिलान, अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया हेतु IFMS के माध्यम से ई–प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में लागू उपरोक्त व्यवस्था के कियान्वयन में आ रही कतिपय विसंगतियां व भुगतान में बिलम्ब के निस्तारण के दृष्टिगत एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से सा.भ.नि. के आंकड़ों का मिलान व अन्तिम भुगतान की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से साईबर ट्रेजरी, देहरादून एवं दिनांक 01.04.2024 से समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड में निम्नानुसार सम्पादित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों की सा.भ.नि. पासबुक की समस्त प्रविष्टियों को नियमानुसार पूर्ण कर सॉफ्ट डेटा में (PDF format में) परिवर्तित करते हुए ई–साईन कर IFMS Portal में अपलोड किया जायेगा।

साथ ही IFMS Portal में आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर प्रत्येक अभिदाता की सा.भ.नि. पासबुक की प्रविष्टियों को डिजिटल फार्मेट में ऑनलाईन अंकित किये जाने हेतु विकल्प मौजूद रहेगा। उपरोक्तानुसार डिजिटाईजेशन के आधार पर दिनांक 01.04.2016 के उपरान्त प्रत्येक अभिदाता के सा.भ.नि. में अभिदान का विवरण IFMS Portal में महालेखाकार कार्यालय एवं आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध रहेगा।

2. महालेखाकार कार्यालय को उक्त ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त अभिलेखों के आधार पर निधि में जमा धनराशि का नियमानुसार मिलान करते हुए अभिदाता की वर्षवार गणना शीट, अग्रसारण पत्र एवं कटौतियों के सम्बन्ध में पायी गयी विसंगतियों अथवा मिलान किये गये लेखे को अनुलग्नक (Annexure) के रूप में ई–साईन कर IFMS Portal पर अपलोड किया जायेगा, जिसके आधार पर राज्य सरकार/आहरण–वितरण अधिकारी के द्वारा सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
3. उपरोक्तानुसार व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किये जाने हेतु प्रथम चरण में साईबर कोषागार, देहरादून में पाईलट प्रोजेक्ट के रूप में इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से लागू किया जायेगा। उक्त तिथि के उपरान्त साईबर कोषागार के अन्तर्गत विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सा.भ.नि. के प्रकरणों में मिलान सम्बन्धी कोई भी अभिलेख महालेखाकार कार्यालय में ऑफलाईन प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
4. उक्त प्रक्रिया को लागू किये जाने हेतु निदेशक, कोषागार IFMS Portal पर आवश्यक संशोधन करेंगे तथा महालेखाकार कार्यालय व आहरण वितरण अधिकारियों को IFMS Portal का आवश्यकतानुसार एक्सैस प्रदान करेंगे।
5. ई–प्राधिकार पत्र के सम्बन्ध में अन्तिम भुगतान से सम्बन्धित सभी अभिलेख, यथा फॉर्म 425'क', विगत 05 वर्षों की ब्रॉडशीट एवं 90 प्रतिशत का स्वीकृति आदेश आदि भी मिलान की प्रकिया की तरह ही आहरण–वितरण अधिकारी के द्वारा IFMS Portal के माध्यम से अपलोड किये जायेंगे। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अभिदाता का प्रकरण IFMS Portal पर अपलोड कर महालेखाकार को अग्रसारित करने के उपरान्त एक पावती संख्या (Acknowledgement number) जेनरेट होगा, जिसके साथ अभिदाता की अन्य जानकारी यथा, अभिदाता का नाम, कर्मचारी कोड, सा.भ.नि. संख्या इत्यादि भी प्रदर्शित होगी एवं उक्त विवरण पावती के रूप में आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।
6. सा.भ.नि. के 10 प्रतिशत अन्तिम भुगतान के समय आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा अभिदाता के डिजिटल डाटा के साथ–साथ सा.भ.नि. की मूल पासबुक एवं उपरोक्तानुसार पावती (Acknowledgement Receipt) को अनिवार्य रूप से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार ऑनलाईन एवं डाक के माध्यम से

प्राप्त अभिलेखों के आधार पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

7. अन्तिम भुगतान हेतु मिलान एवं ब्याज की गणना के उपरान्त IFMS portal पर प्राधिकार पत्र जनरेट होगा, जिस पर महालेखाकार द्वारा ई–हस्ताक्षर किये जायेंगे। तत्पश्चात् यह प्राधिकार पत्र आहरण वितरण अधिकारी को निर्गत होगा। आहरण–वितरण अधिकारी उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर अन्तिम भुगतान की कार्यवाही कर सकेंगें।

3– कृपया उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by V. Shanmugham
Date: 19-01-2024 11:25:33

(डॉ. वी. षणमुगम)
सचिव

संख्या– 103649/XXVII(1)/2024 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ले. एवं हक.), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने–अपने आहरण वितरण अधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि कृपया उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार IFMS portal पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ. वी. षणमुगम)
सचिव।

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

01—अपर निदेशक (गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल),उत्तराखण्ड।

02—समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/वित्त अधिकारी।

विषयः— कार्मिकों के जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत के आवेदन हेतु अभिलेख अपलोड करने के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशालय को आपके माध्यम से कार्मिकों के जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत हेतु IFMS पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे है। HOD ऑपरेटर द्वारा प्रकरण की जॉच के दौरान पाया जा रहा है कि डी0डी0ओ0 स्तर से प्रकरण में अपूर्ण दस्तावेज अपलोड कर निदेशालय को प्रेषित किये जा रहे है जिस पर निदेशालय के ऑपरेटर/सुपरवाईजर द्वारा आपत्ति दर्ज की जा रही है, जिससे संबंधित कार्मिक का जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत समय से अप्रुव/स्वीकृत नहीं हो रहा है। उक्त विषय को ध्यान में रखते हुए समस्त डी0डी0ओ0 को निदेर्शित किया जाता है कि निम्न अभिलेख अनिवार्य रूप से अपलोड करने के उपरान्त ही कार्मिकों के 90 प्रतिशत प्रकरण को HOD से स्वीकृत हेतु अपलोड करें:—

1. कार्मिक की पूर्ण जी0पी0एफ0 पासबुक स्कैन कर अपलोड होना अनिवार्य है।
2. वित्तीय वर्ष 2022—23 या 2023—24 का महालेखाकार द्वारा निर्गत मिलान पत्र।
3. कर्मचारी द्वारा आवेदन (ई—साइन)।
4. फार्म 425 ,क, डी0डी0ओ0 भाग (ई—साइन)।
5. विगत 5 वित्तीय वर्ष की ब्याज आगणन शीट (चालू वर्ष सहित)।
6. मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र,नोमिनेशन प्रमाण पत्र, वारिसान/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र)।
7. ऐच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति स्वीकृति आदेश।

उपरोक्त समस्त अभिलेख स्पष्ट एवं पठनीय होने आवश्यक है। अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाये कि अभिलेख सही प्रकार से स्कैन किये जायें। अपठनीय अभिलेखों के कारण 90 प्रतिशत स्वीकृति में विलम्ब होने की दशा में आहरण—वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अतः आप अपने अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों के समसत आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल उक्त के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देने का कष्ट करें ताकि 90 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि प्रकरणों का निस्तारण समय से हो सके।

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 08-10-2024 12:09:49

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक / नि0को0पें0ह0/2024 दिनांक अगस्त, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 183649/XXVII(I)/2024 दिनांक 19 जनवरी, 2024 के क्रम में सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों/अधिकारियों (समूह "घ" के से0नि0/मृतक कार्मिकों को छोड़ते हुए) के सामान्य भविष्य निधि का मिलान, अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा विभाग के माध्यम से सामान्य भविष्य निधि में जमा कुल धनराशि के 90 प्रतिशत तथा अन्तिम शेष 10 प्रतिशत का भुगतान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड से प्राप्त किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) इस प्रकार है :–

Case- 1 सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा स्वयं आवेदन करने की स्थिति में जी0पी0एफ0 425 (क) के 90 प्रतिशत तथा अन्तिम अवशेष 10 प्रतिशत के भुगतान से सम्बन्धित की जानी वाली कार्यवाही।

(1) सर्वप्रथम राजकीय कार्मिक द्वारा आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल (https://ifmshrms.uk.gov.in/) में अपने कर्मचारी कोड तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए Login किया जायेगा। तदोपरान्त HRMS Menu के अन्तर्गत GPF 425(क) पर क्लिक करने के उपरान्त एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें सम्बन्धित कार्मिक का विवरण प्रदर्शित होने के साथ–साथ प्रारूप 425 (क) हेतु Prefilled Application Form खुलेगा। उक्त फॉर्म में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा इसे e-sign करते हुए Submit किया जायेगा। इस प्रकार प्रकरण आहरण वितरण अधिकारी को स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।

Case- 2 मृतक कार्मिकों के जी0पी0एफ0 425–क के 90 प्रतिशत तथा अन्तिम अवशेष 10 प्रतिशत के आवेदन सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल (https://ifms.uk.gov.in/) में Login to IFMS का विकल्प चुनते हुए Login किया जायेगा। GPF Tab स्लेक्ट कर GPF 425 Employee Nominee application पर क्लिक करते हुए मृतक कार्मिक के जी0पी0एफ0 भुगतान के संदर्भ में Employee Nominee के Aadhar based e-sign कराये जाने होगें।

आहरण वितरण अधिकारी (ऑपरेटर) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा GPF Menu स्लेक्ट कर Sub menu GPF Authority पर क्लिक किया जाना होगा। तदोपरान्त इसमें एक ग्रीड प्रदर्शित होगी, जिसमें GPF Passbook के बटन पर क्लिक करने पर डिजिटाईजड पासबुक देखी जा सकती है, AG Milaan के बटन पर क्लिक करने पर महालेखाकार, ले0 एवं ह0, उत्तराखण्ड के द्वारा Online निर्गत मिलान पत्र खुलेगा, Employee Request के बटन पर क्लिक करने पर कार्मिक द्वारा किये गये आवेदन पत्र देखे जा सकते हैं। इसके बाद view बटन को क्लिक करने पर Employee Information की स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें Letter Number और Letter Date अंकित कर GPF balance में यदि महालेखाकार द्वारा AG Milaan Authority Online निर्गत की गयी है तो स्वतः ही दिखायी देगी। पूर्व प्रदर्शित धनराशि में यदि संशोधन किया जाना हो, तो संशोधित धनराशि अंकित की जा सकती है अन्यथा कि स्थिति में यथावत रखते हुये Continue किया जाना होगा। यदि महालेखाकार द्वारा AG Milaan Authority Offline निर्गत की गयी है तो आपरेटर द्वारा धनराशि Manually अंकित करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(2) Continue किये जाने के उपरान्त डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा Nominee Information में Share Percentage भरा जाना होगा तथा Select करते हुए पुनः Continue कर दिया जायेगा।

(3) पुनः Continue किये जाने के उपरान्त डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा Recovery Details में Departmental Recovery में Yes अथवा No का चयन किया जाना होगा। Departmental Recovery में Yes पर क्लिक करने कि स्थिति में सुसंगत Major Head, Recovery Head एवं धनराशि अंकित करते हुये Continue कर दिया जायेगा।

(4) तत्पश्चात डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा Preview Form 425 पर क्लिक करते हुए Form 425 देखा जा सकता है तथा पुनः Continue कर दिया जायेगा।

(5) तदोपरान्त डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा AG Milaan (Manual), Current Financial Year GPF Slip, Previous Year GPF Slips (विगत पॉच वर्षो की जी0पी0एफ0 स्लिप), Form 425, Death Certificat एवं Voluntary/Compulsary Retirement (लागू होने की स्थिति में) सम्बन्धित अभिलेख यथास्थिति वर्षवार अपलोड करते हुए सबमिट कर दिया जायेगा।

(6) तत्पश्चात डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें GPF Passbook, AG Milaan, Employee Request देखी जा सकती है। तदोपरान्त View पर क्लिक करते हुए Uploaded अभिलेख देखे जा सकते है, तत्पश्चात ऑपरेटर स्तर से Approve/Return किया जायेगा।

आहरण वितरण अधिकारी (सुपरवाईजर) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

(1) डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक का जी0पी0एफ0 प्रकरण डी0डी0ओ0 सुपरवाईजर की आई0डी0 में प्रदर्शित होगा। डी0डी0ओ0 सुपरवाईजर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें GPF Passbook, AG Milaan, Employee Request देखी जा सकती है। तदोपरान्त View पर क्लिक करते हुए Uploaded अभिलेख देखे जा सकते है, तत्पश्चात सुपरवाईजर स्तर से Approve/Return किया जा सकता है।

आहरण वितरण अधिकारी (ऑफिसर) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) डी0डी0ओ0 सुपरवाईजर द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक का जी0पी0एफ0 प्रकरण डी0डी0ओ0 ऑफिसर की आई0डी0 में प्रदर्शित होगा। डी0डी0ओ0 ऑफिसर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें GPF Passbook, AG Milaan, Employee Request देखी जा सकती है। तदोपरान्त View पर क्लिक करते हुए समस्त अपलोड अभिलेख देखे जा सकते है। उसके पश्चात ऑफिसर स्तर से digital signature (e-sign अथवा डी0एस0सी0) करते हुये Approve/Return किया जा सकता है।

विभागाध्यक्ष (ऑपरेटर) : सहायक लेखाकार/लेखाकार/सम्बन्धित कार्मिक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

(1) आहरण वितरण अधिकारी के ऑफिसर स्तर से सम्बन्धित कार्मिक के Form 425 Approve किये जाने के बाद एच0ओ0डी0 आपरेटर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें GPF Passbook, AG Milaan, Employee Request, DDO Request द्वारा Approve की गयी digitally signed रिपोर्ट देखी जा सकती है। तदोपरान्त View पर क्लिक कर समस्त Uploaded अभिलेख देखे जा सकते हैं। उसके बाद विगत पांच वर्षो की परिकलन शीट के जांच सम्बन्धी घोषणा को सलेक्ट कर ऑपरेटर स्तर से Approve/Return किया जा सकता है।

विभागाध्यक्ष (सुपरवाईजर **FC/CFO/Sr. FO/FO/AAO**) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) एच0ओ0डी0 आपरेटर द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक का जी0पी0एफ0 प्रकरण एच0ओ0डी0 सुपरवाईजर की आई0डी0 में प्रदर्शित होगा (एच0ओ0डी0 के एडमीन में जाकर **FC/CFO/Sr. FO/FO/AAO** को सुपरवाईजर के रोल में मैप किया जाना होगा)। तदोपरान्त एच0ओ0डी0 सुपरवाईजर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें GPF Passbook, AG Milaan, Employee Request, DDO Request द्वारा Approve की गयी ई–साईन रिपोर्ट देखी जा सकती है। View पर क्लिक कर समस्त Uploaded अभिलेख देखे जा सकते हैं। तत्पश्चात सुपरवाईजर स्तर से digital signature (e-sign अथवा डी0एस0सी0) करते हुये Approve/Return किया जा सकता है।

विभागाध्यक्ष (ऑफिसर) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) एच0ओ0डी0 सुपरवाईजर द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक का जी0पी0एफ0 प्रकरण एच0ओ0डी0 ऑफिसर की आई0डी0 में प्रदर्शित होगा। एच0ओ0डी0 ऑफिसर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें GPF Passbook, AG Milaan, Employee Request, DDO Request, HOD Supervisor द्वारा Approve की गयी ई–साईन रिपोर्ट देखी जा सकती है। तदोपरान्त View पर क्लिक कर समस्त Uploaded अभिलेख देखे जा सकते है। ऑफिसर स्तर से digital signature (e-sign अथवा डी0एस0सी0) करते हुये Approve/Return किया जा सकता है।

(2) एच0ओ0डी0 ऑफिसर स्तर से सम्बन्धित कार्मिक का जी0पी0एफ0 प्रकरण Approve कर दिये जाने के उपरान्त जी0पी0एफ0 धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान स्वीकृति आदेश डी0डी0ओ0 ऑपरेटर के द्वारा GPF के अन्दर GPF Authority को चुनते हुये Issued Authority Option में देखे जा सकते है। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के आपरेटर स्तर से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 का बिल तैयार कर भुगतान हेतु सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित किया जाना होगा। कोषागार द्वारा Online प्रेषित देयक के साथ संलग्न Online 90 प्रतिशत Authority के आधार पर ही परीक्षण किया जाना होगा। Physical स्वीकृति आदेश अब वांछनीय नहीं होगा।

(3) एच0ओ0डी0 ऑफिसर स्तर से सम्बन्धित कार्मिक का जी0पी0एफ0 प्रकरण Approve कर दिये जाने के उपरान्त जी0पी0एफ0 धनराशि के अन्तिम अवशेष 10 प्रतिशत के भुगतान हेतु प्रकरण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड को Online स्वतः ही प्रेषित हो जायेगा, जिस पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड के स्तर से की जायेगी।

10 प्रतिशत से सम्बन्धित प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने के पश्चात आहरण–वितरण अधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही

(आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही)

(1) डी0डी0ओ0 ऑपरेटर के द्वारा GPF के अन्दर GPF Ten Percent Authority को चुनते हुये Issued Authority Option में महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र देखे जा सकते है एवं पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार HRMS में GPF

Generated from eOffice by [illegible] HEAD ASSISTANT, DEPT-TREASURY [illegible]

I/111990/2024 Advance option को चुनते हुये जी0पी0एफ0 10 प्रतिशत का बिल तैयार कर भुगतान हेतु सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित किया जाना होगा। Paid Authority Option में भुगतानित प्राधिकार पत्र देखें जा सकते है एवं जिन प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार
I/111990/2024 द्वारा निर्गत किये छः माह पूर्ण हो चुके हैं, उन्हे Lapsed Authority option में देखा जा सकता है।

<u>(कोषागार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही)</u>

(1) आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत जी0पी0एफ0 के भुगतान हेतु प्रेषित देयक सम्बन्धित कोषागार के सामान्य बिल प्राप्ति प्रक्रिया अनुसार प्राप्त होगा। साथ ही कोषागार ऑपरेटर के द्वारा GPF के अन्दर GPF Ten Percent Authority को चुनते हुये Issued Authority Option में महालेखाकार द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र देखे जा सकते है, जिनके सापेक्ष उनसे सम्बन्धित देयकों का Status प्रदर्शित होगा। कोषागार द्वारा 10 प्रतिशत जी0पी0एफ0 प्राधिकार पत्र के सापेक्ष देयक का भुगतान किये जाने के उपरान्त वाउचर न0 जनरेट होने पर उक्त प्राधिकार पत्र Paid Authority Option में प्रदर्शित होगी। जिन प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार द्वारा निर्गत किये छः माह पूर्ण हो चुके उन्हे Lapsed Authority option में देखा जा सकता है। ततपश्चात lapsed प्राधिकार पत्र महालेखाकार के Login पर पुर्ननिर्गत किये जाने हेतु प्रेषित किये जायेगें।

Signed by Dinesh Chandra Lohani
Date: 05-09-2024 15:24:21
(दिनेश चन्द्र लोहनी)
निदेशक।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(दिनेश चन्द्र लोहनी)
निदेशक।

Generated from eOffice by Deepak Kumar, HA- DEEPAK-DTPE, HEAD ASSISTANT, DEPT-TREASURY on 05/09/2024 05:24 pm

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून।

सेवा में,

महालेखाकार,
लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
महालेखाकार भवन, कौलागढ़,
देहरादून।

पत्रांक 123765/200016/महालेखाकार/पत्राचार/2024 दिनांक 24 अक्टूबर, 2024

विषयः– सेवानिवृत्त कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि का मिलान, अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया हेतु ई–प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के संलग्न पत्र संख्या 2318–19/10 प्रतिशत जी0पी0एफ0/ 2024–25 दिनांक 26.09.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री मनोहर सिंह गुसाई, चीफ फार्मासिस्ट राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा, खण्डाह, जनपद पौड़ी गढ़वाल जो दिनांक 30.04.2024 को सेवानिवृत्त हुए है, के 90 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान संदर्भ में आपके पत्र संख्या डी0ए0जी0 (निधि प्रकोष्ठ)/मिलान/अन्तिम भुगतान/ 2024–25 दिनांक 10.09.2024 को संज्ञान में लेते हुए सम्बन्धित प्रकरण में आवश्यक दिशा–निर्देश हेतु इस निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–183649 /XXVII(1)/2024 दिनांक 19 जनवरी, 2024 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि का मिलान, अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया हेतु ई–प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। उल्लिखित शासनादेश के आलोक में ही निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–111990/ नि0को0पें0ह0/2024 दिनांक 05 सितम्बर, 2024 द्वारा सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों/अधिकारियों (समूह "घ" के सेवानिवृत्त/मृतक कार्मिकों को छोड़ते हुए) के लिए सामान्य भविष्य निधि में जमा कुल धनराशि के 90 प्रतिशत तथा अन्तिम शेष 10 प्रतिशत का भुगतान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड से प्राप्त किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पूर्व में निर्गत की जा चुकी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवलोकनीय है कि शासनादेश संख्याः183649 /XXVII(1)/ 2024 दिनांक 19 जनवरी, 2024 के बिन्दु संख्या–3 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सा.भ.नि. के प्रकरणों में मिलान सम्बन्धी कोई भी अभिलेख महालेखाकार कार्यालय को ऑफलाईन प्रेषित नहीं किये जायेंगे, की स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है। उक्त व्यवस्था के तहत ही जिन प्रकरणों का आनलाईन मिलान करा लिया गया हो, के 10 प्रतिशत का भुगतान के प्राधिकार–पत्र भी आनलाईन निर्गत कराये जाने के लिए साफ्टवेयर में व्यवस्था की गयी है। परन्तु जिन प्रकरणों को पूर्व व्यवस्था के तहत महालेखाकार कार्यालय द्वारा मैनुअल जांच की गयी हो, को मैनुअल आधार पर ही 10 प्रतिशत का भुगतान का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना होगा। ऐसे प्रकरणों की संख्या अत्यधिक न्यून होने के कारण तकनीकी कारणों से

File No. DTPE-200016/1/2024-नि.को.पें.ह.-DEPT-TREASURY (Computer No. 64711)

साफ्टवेयर के माध्यम से निस्तारित कराया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके उपरिवर्णित पत्र को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनके प्रकरणों की जांच महालेखाकार कार्यालय द्वारा आनलाईन के स्थान पर मैनुअल प्रकिया के आधार पर की जा चुकी हो, तथा उसका 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान भी सम्बन्धित कार्मिक हो चुका हो, के 10 प्रतिशत का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत होने से पूर्व निर्धारित व्यवस्था के आधार पर ही प्राधिकार पत्र निर्गत/निस्तारित करवाने का कष्ट करें। क्योंकि इन प्रकरणों को साफ्टवेयर के माध्यम से निस्तारित कराया जाना सम्भव नहीं है।
संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र लोहनी)
निदेशक।

Signed by
Dinesh Chandra Lohani
Date: 24-10-2024 12:27:51

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश संख्या 183649/XXVII(1)/2024 दिनांक 19 जनवरी, 2024 एवं निदेशालय के पत्र संख्या 111990/नि0को0पें0ह0 /2024 दिनांक 05 सितम्बर, 2024 को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को उनके उपरिवर्णित पत्र दिनांक 26.09.2024 के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

(दिनेश चन्द्र लोहनी)
निदेशक।

निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

पत्रांक /एफ0डी0सी0–536/नि0को0पें0ह0/2025 दिनांक फरवरी, 2025

कार्यालय–ज्ञाप

(SOP-02)

एतद्द्वारा अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 183649/XXVII(I)/2024 दिनांक 19 जनवरी, 2024 के क्रम में सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों/अधिकारियों (समूह "घ" के से0नि0/मृतक कार्मिकों को छोड़ते हुए) के सामान्य भविष्य निधि का मिलान, अन्तिम भुगतान की प्रक्रिया एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा विभाग के माध्यम से सामान्य भविष्य निधि में जमा कुल धनराशि के 90 प्रतिशत तथा अन्तिम शेष 10 प्रतिशत का भुगतान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड से प्राप्त किये जाने हेतु निदेशालय के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 111990/नि0को0पें0ह0/2024 दिनांक 05 सितम्बर, 2024 के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रिया–01 (SOP) जारी की गयी थी।

भाग–"क"

ऐसे कार्मिक जिनको 01 सितम्बर, 2024 से पूर्व ही 90 प्रतिशत भुगतान स्वीकृति आदेश ऑफलाइन निर्गत किये गये थे, को महालेखाकार कार्यालय को 10 प्रतिशत भुगतान स्वीकृति आदेश हेतु प्रकरण ऑनलाईन प्रेषित किये जाने हेतु आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर व्यवस्था की गयी है जिसकी मानक संचालन प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

आहरण वितरण अधिकारी (ऑपरेटर) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा GPF Menu स्लेक्ट कर Manual GPF Ten (%) Authority Request पर क्लिक किया जाना होगा। तदोपरान्त Employee Code दर्ज करते हुए Search बटन पर क्लिक करें। Employee Information की स्क्रीन प्रदर्शित होने पर Letter Number, Letter Date एवं Final GPF balance अंकित करते हुए Continue पर क्लिक करें।

(2) Nominee Information में शेयर प्रतिशत का परीक्षण करते हुए स्लेक्ट कॉलम में दिये गये चैक बॉक्स को Tick करते हुए Continue पर क्लिक करें।

(3) तदोपरान्त डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा Form 425/ 90 Percent Authority (Manual) एवं GPF Passbook अपलोड करते हुए सबमिट कर दिया जायेगा।

(4) तत्पश्चात डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी। View पर क्लिक करने पर Uploaded अभिलेख देखे जा सकते है, तत्पश्चात ऑपरेटर स्तर से Approve/Return किया जायेगा।

आहरण वितरण अधिकारी (सुपरवाईजर) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) डी0डी0ओ0 ऑपरेटर द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक का जी0पी0एफ0 प्रकरण डी0डी0ओ0 सुपरवाईजर की आई0डी0 में प्रदर्शित होगा। डी0डी0ओ0 सुपरवाईजर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी। तदोपरान्त View पर क्लिक करते हुए Uploaded अभिलेख देखे जा सकते है, तत्पश्चात सुपरवाईजर स्तर से Approve/Return किया जा सकता है।

आहरण वितरण अधिकारी (ऑफिसर) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) डी0डी0ओ0 सुपरवाईजर द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक का जी0पी0एफ0 प्रकरण डी0डी0ओ0 ऑफिसर की आई0डी0 में प्रदर्शित होगा। डी0डी0ओ0 ऑफिसर द्वारा Approval के अन्दर GPF Authority Approval को स्लेक्ट करने पर ग्रिड स्क्रीन प्रदर्शित होगी, तदोपरान्त View पर क्लिक करते हुए समस्त अपलोड अभिलेख देखे जा सकते हैं। उसके पश्चात ऑफिसर स्तर से digital signature (e-Sign अथवा डी0एस0सी0) करते हुये Approve/Return किया जा सकता है। (उक्त प्रकरण से सम्बन्धित सिस्टम जनरेटेड MPF चैच आई0डी0 कार्मिक की जी0पी0एफ0 पास–बुक पर चस्पा कर महालेखाकार कार्यालय को पास–बुक प्रेषित करें।) तदोपरान्त 10 प्रतिशत भुगतान सम्बन्धित प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को प्रदर्शित होने लगेगा।

भाग–"ख"

GPF 10 Percent Lapse Authority के सम्बन्ध में कोषागार (**Officer**) द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(1) **Treasury Officer Login** पर GPF Menu स्लेक्ट कर GPF 10 Percent Lapse Authority request पर क्लिक किया जायेगा। तदोपरान्त जी0पी0एफ0 10 प्रतिशत प्राधिकार पत्रों की सूची प्रदर्शित होगी। उक्त प्राधिकार पत्रों को डाउनलोड में **e- Authority** पर क्लिक करके देखा जा सकता है। तदोपरान्त स्लेक्ट कॉलम में Check Box पर Tick करते हुए Proceed Button पर क्लिक किया जाना होगा, जिसके उपरान्त उक्त समस्त लैप्स प्राधिकार पत्रों की सूची महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु अग्रसारण प्रारुप प्रदर्शित होगा, जिस पर ऑफिसर स्तर से digital signature (e-Sign अथवा डी0एस0सी0) करते हुये Proceed कर Submit किया जायेगा। तत्पश्चात लैप्स भुगतान प्रपत्र पुर्नवैध हेतु महालेखाकार कार्यालय को प्रदर्शित होने लगेगा। (कोषागार द्वारा ई–साईन लैप्स प्रपत्र महालेखाकार को प्रेषित करने के उपरान्त उक्त लैप्स प्राधिकार पत्र सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर प्रदर्शित होने बन्द हो जायेगें।) महालेखाकार कार्यालय द्वारा लैप्स प्राधिकार पत्र पुर्नवैध किये जाने के उपरान्त पुर्नवैध प्राधिकार पत्र सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के आपरेटर स्तर पर जी0पी0एफ0 में GPF Ten Percent Authority के अन्दर Issued Authority में देयक तैयार किये जाने हेतु प्रदर्शित होगें।

नोट 01– पार्ट–"क" में ऑफलाइन माध्यम से स्वीकृत 90 प्रतिशत के प्रकरणों को 10 प्रतिशत के भुगतान हेतु अपलोड कर महालेखाकार को प्रेषित किये जाने की प्रकिया एक अस्थाई प्रावधान है, जो केवल उन 10 प्रतिशत जी0पी0एफ0 भुगतान प्रकरणों पर लागू होगा जिनके 90 प्रतिशत के स्वीकृति आदेश ऑफलाइन के माध्यम से निर्गत किये गये हैं। भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण समाप्त होने पर यह व्यवस्था सिस्टम में Disable कर दी जायेगी।

नोट 02– जी0पी0एफ0 माडयूल से सम्बन्धित विस्तृत यूजर मैनुअल स्पोर्ट मैन्यू के अन्दर Download Tutorial में प्रदर्शित होगा।

Signed by
Dinesh Chandra Lohani
Date: 04-03-2025 11:49:42
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, सचिव वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(दिनेश चन्द्र लोहनी)
निदेशक।

232192/2024

संख्या-232192/XXIV-B-1 /24/31(02)/2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 देहरादून: दिनांक: 20 अगस्त, 2024

विषयः विद्यालयी शिक्षा विभाग में कक्षावार बस्ते का बोझ कम करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में की गयी अनुशंसा के कम में शासनादेश संख्या-181549/XXIV-B-1/24/31(02)/2020, दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से प्रदेश के विद्यालयों में बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2- भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 1-4/2018-IS-3, दिनांक 24 नवम्बर 2020 के माध्यम से प्रसारित स्कूल बैग पॉलिसी-2020 के प्रस्तर-4 में निर्धारित कक्षावार स्कूली बस्ते के भार के आधार पर निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक SCERT/NEP/विविध पत्रा0/8728-32/ 2023-24, दिनांक 04.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षावार स्कूली बस्ते के भार का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:-

क0	कक्षा	अनुमानित शारीरिक वजन (किलो में)	बस्ते का अनुमानित वजन (किलो में)
1	पूर्व प्राथमिक कक्षा	10-16	No Bag
2	कक्षा-1	16-22	1.6-2.2
3	कक्षा-2	16-22	1.6-2.2
4	कक्षा-3	17-25	1.7-2.5
5	कक्षा-4	17-25	1.7-2.5
6	कक्षा-5	17-25	1.7-2.5
7	कक्षा-6	20-30	2-3
8	कक्षा-7	20-30	2-3
9	कक्षा-8	25-40	2.5-4
10	कक्षा-9	25-45	2.5-4.5

11	कक्षा 10	25- 45	2.5–4.5
12	कक्षा 11	35–50	3.5–5
13	कक्षा 12	35 50	3.5–5

3 कृपया स्कूली बस्ते का भार कक्षानुसार निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 09-08-2024 18:32:06

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या–232/92/-XXIV–B–1/24–31(01)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Prem Singh Rana
Date: 17-08-2024 17:53:58

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

BES1-MISC/25.1/57/2023-XXIV-A-1-Basic Education Department

1/218332/2024

132
18-6-24

संख्या-218332/XXIV-A-1/2024-63538/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

DD - प्रशासनिक

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

JD 18/6/24

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 14 जून, 2024

विषयः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु परीक्षा प्रावधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–अकादमिक(04)/18452/परीक्षा/2023–24 दिनांक 01 मार्च, 2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को छूट दिये जाने के सम्बन्ध में हैं।

2— अतएव उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" (आर0पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट–2016) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु निर्धारित प्राविधान के क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नवत परीक्षा प्रावधान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1— विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) अपंगता के अनुसार परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त समय दिया जाय।	1— "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) में उल्लिखित दिव्यांगताओं यथा अन्धापन, कम–दृष्टि कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति, सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन), लोकोमोटर दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियॉ, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मल्टीपल स्कलेरोसिस, भाषण और भाषा दिव्यांगता थेलेसिमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरापन सहित कई दिव्यांगता, एसिड अटैक, पीडित पार्किसंस रोग से पीडित बच्चों लिये छूटः—
(क) प्रारम्भिक स्तर पर कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं (CWSN) अपंगता के अनुसार श्रुत लेखन, उपलब्ध कराया जायेगा।	(क) प्रारम्भिक शिक्षा की परीक्षा में बैठने वाले ऐसे विद्यार्थी जो उपरोक्त वर्णित दिव्यांगताओं से पीडित हों, को प्रश्न पत्र के लिये 20 मिनट प्रति घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है एवं ऐसे समस्त छात्र श्रुत लेखक की सेवाएं ले सकते है।

	(ख) आवश्यकतानुसार श्रुत लेखक, को उस कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, जिसके लिए परीक्षा दे रहा है। (ग) कक्षा 3 एवं 4 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं (CWSN) की मौखिक परीक्षा (Oral) लेते हुये, परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

Signed by Raman Ravinath
Date: 14-06-2024 23:31:24

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

File No. BES2-5/BES2-5/2092-5/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 41030)
209647/2024
209647/2024

D.D. अका० / आशु०

उत्तराखण्ड शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–2
संख्याः /XXIV-A-2/24–45/2008 T.C IV
देहरादून, दिनांक 08 मई, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009) की धारा 38 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह आगामी शैक्षिक सत्र 2024–25 से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011" में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 2 के उपनियम (1) के विद्यमान खण्ड (च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि को (अर्थात् प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की प्रथम तिथि) या उससे पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।	"बच्चे" से 6 से 14 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है, परन्तु विशिष्ट आवश्यकताधारी बच्चों के लिए "बच्चे" से 6 से 18 वय वर्ग का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है। 06 वर्ष का अभिप्राय है कि बालक या बालिका द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व 06 वर्ष की आयु पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात् 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो। वर्तमान में जिन बच्चों द्वारा प्री–स्कूल (नर्सरी, एल0के0जी0, यू0के0जी0) में प्रवेश लिया जा चुका है उन्हें, कक्षा–1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षो की भांति प्रदान की जायेगी तथा उनके आगे की पढ़ाई की निरन्तरता में कोई भी व्यवधान नही होगा। आगामी वर्षो में प्री–स्कूल कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री–स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा–1 में प्रवेश हेतु अर्ह हो। उक्त के साथ ही दिव्यांग बच्चों हेतु विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार अपनायी जायेगी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उनकी प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी हो सके।

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 13:01:55

(रविनाथ रामन)
सचिव

10/5/24

209647/2024

संख्या: 232 ( )/ XXIV-A-2/24-45/2008 T.C IV तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रूड़की, सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Pooran Giri
Date: 08-05-2024 13:49:11

(पूरन गिरि)
उप सचिव

Basic Education Department Computer No. 41030)

In pursuance of the provision of clause(3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. .... dated

63/9-5-24

Govt. of Uttarakhand

Basic Education section-2

No. \ /XXIV-A-2/24-45 / 2008 T.C IV

Dehradun, Dated 08 May, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the Governor makes the following rules with a view of further amend the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education rules, 2011 :-

THE UTTARAKHAND RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2024

Short Title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2024

(2) It shall come in force from subsequent academic session 2024-25.

Amendment of rule 2.

2. In the Uttarakhand Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 for the existing clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 as set out in column-1 below, the sub rule as set out in column-2 shall be substituted namely.

Column- 1	Column- 2
Existing Clause	Hereby Substituted Clause
"Child" means a male or female child of the age group of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age group of 6 to 18 years. 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years on (i.e. 1st April of every year) or before the date of commencement of the academic session, i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years;".	"Child" means a male or female child of the age of 6 to 14 years, provided that for the purpose of Children With Special Needs the "Child" means a male or female child of the age of 6 to 18 years. 06 years means that the male or female child should have attained the age of 06 years before the date of commencement of the academic session, i.e, the period of 12 months has been completed after completing 05 years Children who are at present enrolled in pre-school (i.e., Nursery, LKG, UKG), shall hereby continue their education in further classes as per the previously existing rule and they shall not face any hurdle in continuing their further education. In the subsequent years, it shall be mandatory for all schools conducting pre school classes to determine the minimum age for admission in pre-school classes in such a way that only children who have completed the age of 6 shall be admitted in class I. In addition to the above, admission procedure in school for children with special needs shall be adopted in such a way that their elementary education may be completed uninterrupted till they complete the age of 18 years.

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 13:01:23

(Ravinath Raman)
Secretary

'209646/2024

'209646/2024

No.233 ()/XXIV-A-2/24-45/2008 T.C IV Dated

Copy to followings for information and necessary action:

1. Director General, School Education, Uttarakhand, Dehradun.
2. State Project Director, Samagra Shiksha Yojana, Uttarakhand.
3. Director, Elementary Education, Uttarakhand, Dehradun.
4. All the District Magistrate, Uttarakhand.
5. All Chief Education Officer, Uttarakhand.
6. All District Education Officer, (Elementary) Uttarakhand.
7. Joint Director, Govt. Litho Press, Roorkee for the publicaton in Govt. Gazette.
8. Guard File.

By order,

Signed by Pooran Giri
Date: 08-05-2024 15:37:25

(Pooran Giri)
Deputy Secretary